रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन) 128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 17, 1991 (श्रावण 26, 1913)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 17, 1991 (SRAVANA 26, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-400013, दिनांक 30 मई 1991

सं० औ०नि०ऋ०वि० 3/87(सी० पी०)-90/91—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में इन सभी शक्तियों का जो इसे ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं, का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से आश्वस्त होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि "गैर बैंकिंग कम्पनियां (वाणिज्यिक प्रपत्रों के माध्यम से जमाराशियों का स्वीकरण) निदेश 1989" (यथा संशोधित) तत्काल से निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाएगा।

(1) पैराग्राफ 4 में इन शब्दों को "कोई भी कम्पनी———— ———— अपेक्षाओं" निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा "जो कम्पनी निम्नलिखित अपेक्षाओं की संतुष्टि करता है, इन निदेशों में निहित शर्तों और प्रतिबंधों के अध्यधीन वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करने का पात्र होगा"।

(2) पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (ii) में जो आंकड़े अर्थात "15" दिया गया है, उसके स्थान पर "10" किया जाएगा।

(3) पैराग्राफ 5 में मौजूद पैराग्राफ (iii) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा "(iii) वाणिज्यिक प्रपत्र के प्रत्येक निर्गम (नवीकरण सहित) को नवीन निर्गम माना जाएगा" ।

(4) पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (i) (उसके अन्तर्गत उपबंध सहित) में इन आंकड़ों अर्थात "10" को "5" और "50" को "25" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(5) पैराग्राफ "6" के मौजूदा उप-पैराग्राफ (ii) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"(6) (ii) जारी किए जाने वाले प्रस्तावित वाणिज्यक प्रपत्र की कुल राशि उस तारीख से 2 सप्ताह के भीतर जिस तारीख को वित्तीय बैंकिंग कम्पनी/अग्रणी संस्था, जैसा कि इसमें प्रावधान है, द्वारा प्रस्ताव को रिकार्ड में लिया गया है, जुटाई जाएगी और किसी एक ही दिवस को जारी किया जाएगा अथवा अलग अलग तारीखों को अंशत: जारी किया जाएगा बशर्ते बाद के मामले में प्रत्येक वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता की तारीख एक ही होगी" ।

(6) पैराग्राफ 7 में "बीस" के स्थान पर "तीस" होगा ।

(7) मौजूदा पैराग्राफ 11 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"11. वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करने की प्रक्रिया

(i) वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करने के लिए प्रस्ताव करने वाली प्रत्येक कम्पनी साख मूल्यांकन एजेंसी द्वारा उसे जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के साथ साथ इसके साथ संलग्न अनुसूची (II) में, जो रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर संशोधित की जा सकेगी, विस्तृत ब्यौरा देते हुए कार्यशील पूंजी की सुविधा उपलब्ध करानेवाली उस बैंकिंग कम्पनी को (जिसे यहां वित्त-पोषक कम्पनी कहा गया है) जिसे सहायता संघीय व्यवस्था में (अग्रणी) अग्रणी संस्था के रूप में नामित किया गया है, प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।

(ii) वित्तपोषक बैंकिंग कम्पनी/अग्रणी संस्था वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करने के लिए उप-पैरा (i) में संदर्भित प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद उनकी संवीक्षा करेगी और यह सन्तुष्ट हो लेने के बाद कि वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करने के लिए कम्पनी ने पात्रता मानदण्डों और यहां निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों का अनुपालन किया है, प्रस्ताव को अभिलेख में लेगा ।

(iii) उसके बाद प्रत्येक कम्पनी व्यक्तिगत रूप से निर्गम स्थापित करने की व्यवस्था करें और सुनिश्चित करें कि वाणिज्यिक प्रपत्र का प्रस्तावित निर्गम दो सप्ताहों की अवधि के अन्दर पूर्ण हो ।

(iv) वाणिज्यिक प्रपत्र का प्रारंभिक निवेशक वित्तीय बैंकिंग कम्पनी/अग्रणी संस्था के नाम पर निर्गम कम्पनी के खाते में रेखित आदाता लेखा चैक के माध्यम से वाणिज्यिक प्रपत्र का बट्टागत मूल्य अदा करेगा ।

(v) वाणिज्यिक प्रपत्र जारी होने पर, वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करने वाली प्रत्येक कम्पनी की कार्यशील पूंजीगत (निधि-आधारित) सीमा वित्तीय बैंकिंग कम्पनी/अग्रणी संस्था द्वारा तदनुसार कम कर दी जाएगी और वित्तीय बैंकिंग कम्पनी/अग्रणी संस्था, क्रमश: बैंकिंग कम्पनी/अन्य सदस्य कम्पनियों में मौजूद वैसी कम्पनी के खाते में आवश्यक समायोजन करेंगी ।

(vi) वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करने वाली प्रत्येक कम्पनी, निर्गम के समाप्त होने की तारीख से तीन दिनों के अन्दर वास्तव में जारी किए गए वाणिज्यिक प्रपत्र की राशि बैंकिंग कम्पनी/अग्रणी संस्था के माध्यम से रिजर्व बैंक को सूचित करेगी ।

(8) पैरा 12 में "वित्तपोषण" शब्द "संबंधित" और "बैंकिंग कम्पनी" के बीच रखा जाएगा ।

(9) अनुसूची II के साथ संलग्न वर्तमान आवेदन प्रोफार्मा के स्थान पर इसके अनुबंध में दिया गया आवेदन प्रोफार्मा रखा जाएगा ।

आई० टी० वाज
कार्यपालक निदेशक

अनुबंध

अनुसूची–II

गोपनीय

वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करने के लिए जारीकर्ता कम्पनी (जारी करने वाला) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव का प्रोफार्मा

संघीय सहायता अग्रणी/वित्तीय बैंककारी कम्पनी को प्रस्तुत करने के लिए

प्रति,

प्रिय महोदय,

वाणिज्यिक पपत्र—जारी करने का कार्यक्रम

रिजर्व बैंक दिनांक 11 दिसम्बर 1989 को द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० औ०नि०ऋ०वि० 1/87 (सी० पी०)–89–90 जैसा समय समय पर संशोधित किया गया है द्वारा जारी किए गए निवेशों के अनुसार हम नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करने का प्रस्ताव करते हैं :

(i) जारी कर्ता का नाम :

(ii) पंजीकृत कार्यालय का पता :

(iii) क्या जारी–कर्ता कम्पनी विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम के तहत आनेवाली कम्पनी है :

(iv) व्यवसायिक गतिविधि :

(v) स्टॉक एक्सचेंज/जों का नाम जिनके साथ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है। (सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं)

(vi) नवीनतम लेखा–परीक्षित तुलन–पत्रक के अनुसार गोचर संपत्ति (प्रतिलिपि संलग्न) :

(vii) (क) जारी करने के लिए : प्रस्तावित वाणिज्यिक पत्र की राशि (अंकित मूल्य)

(ख) अवधि (निर्गम की अवधि) :

(viii) भारतीय ऋण–योग्यताक्रम : निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड से प्राप्त योग्यता क्रम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त (योग्यता क्रम निर्धारण प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए)

(के लिए और की ओर से)

(जारी कर्ता कम्पनी का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

लोक ऋण कार्यालय

बम्बई-400 001, दिनांक 30 जुलाई 1991

सं० लोऋका/एलएन/विशेष 2/औद्योगिक वित्त निगम बांड–औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का XV), के खण्ड 43 के अन्तर्गत बनायी गयी औद्योगिक वित्त निगम (बांड निर्गम) विनियमावली, 1949 के विनियम 10 के अनुसरण में दिनांक 30 जून 1991 को समाप्त होने वाली छःमाही के लिए, गुम हुए आदि बांडों की निम्नलिखित सूची इसके साथ प्रकाशित की जा रही है, जिनके सम्बन्ध में प्रथमदृष्टया यह मानने के लिए आधार है कि वे बांड खो गये हैं और आवेदक का दावा न्यायसंगत है। जिन दावेदारों के, नाम नीचे दिये गये हैं उससे भिन्न यदि किसी व्यक्ति को इन बांडों पर कोई भी दावा करना है, तो वे प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक लोक ऋण कार्यालय, बम्बई-400 001 से तत्काल संपर्क करें। यह सूची दो भागों में विभाजित की गयी है। भाग "क" उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका विज्ञापन पहली बार किया जा रहा है और भाग "ख" उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका विज्ञापन पहले किया जा चुका है।

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रु०	निम्नलिखित के नाम पर जारी	निम्नलिखित दिनांक से ब्याज देय	चुकौती मूल्य के भुगतान के लिए दावेदार/रों का/के नाम	जारी किये गये आदेशों की संख्या और दिनांक	प्रकाशन की वह तिथि जब प्रतिभूति का पहले उल्लेख किया गया था
1	2	3	4	5	6	7
			सूची "क"			
			—कुछ नहीं—			
			सूची "ख"			
			5 1/2 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड 1978			
बीबाई 000635 बीबाई 000636	10,000 10,000	भारतीय रिजर्व बैंक	27-9-76	दि ओरियन्टल इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड	मामला सं० एल 1684, संयुक्त प्रबन्धक के दिनांक 19-3-86 के आदेश और केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 383, दिनांक 20-3-86	9-8-1986

1	2	3	4	5	6	7
			6 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड 1986			
बीवाई 001808	5,000	भारतीय रिजर्व बैंक	10-6-1984	मुस्लिम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, पूना	मामला सं० एल 1880, संयुक्त प्रबंधक के दिनांक 25-7-86 के आदेश और केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 44, दिनांक 26-7-1986	14-3-1987

पी० आर० अनंतरामन,
प्रबन्धक

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई दिनांक 30 जुलाई 1991

सं० एस० बी० डी० सं०-8/1991—इसके द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक डा० के० एस० रमेश के स्थान पर डा० सुरेन्द्र मोहन विरमानी, आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० सेंटर, पाटनचेरू, मेडक डिस्ट्रिक्ट (आंध्र प्रदेश), को स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 05 अगस्त 1991 से 4 अगस्त 1994 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

ह० अपठनीय
अध्यक्ष

कारपोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय

मंगलूर, दिनांक 13 मार्च 1991

सं० मा० सं० वि०/जी०/ 58821/ 011/91—कारपोरेशन बैंक का निदेशक बोर्ड, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1980 (1980 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विनियम अर्थात कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 को आगे संशोधित करता है।

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का नाम कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधित) विनियम 1990 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन तिथि को प्रवृत्त होंगे।

3. विनियम 21 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"21 1-11-1987 को तथा इससे महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :

(i) महंगाई भत्ता, अखिल भारतीय कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) मूल 1960-100 के तिमाही औसत में 600 पाइंटों में प्रत्येक 4 पाइंटों की बढ़ौती, कटौती के लिए संदेय है।

(ii) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों के अनुसार संदेय होगा :

(i) "वेतन" का 0.67 ०/० रु० 2,500 तक तथा

(ii) "वेतन" का 0.55 ०/० रु० 2,500 से रु० 4,000/- तक तथा

(iii) "वेतन" का 0.33 ०/० रु० 4,000 से रु० 4,260 तक तथा

(iv) "वेतन" का 0.17 ०/० रु० 4,260 से अधिक

(आ) विनियम 22(2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"22(2) 1-1-1990 से जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा निवास स्थान नहीं दिया जाता है वहां वह अधिकारी निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा :-

कालम I जहां कार्य का स्थान निम्नलिखित में है	कालम II मकान किराया भत्ता संदेय होगा
1	2
(i) ग्रुप "ए" के परियोजना क्षेत्र के केन्द्र सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट बड़े "ए" श्रेणी के शहर	वेतन का 14% बशर्ते कि रु० 450/- प्रति माह से अधिक न हो।

1	2
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान एवं ग्रुप "बी" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% बशर्ते कि रु० 375/– प्रति माह से अधिक न हो ।
(iii) क्षेत्र II तथा राज्य की राजधानियां तथा संघशासित क्षेत्रों की राजधानियां जो उपर्युक्त (I) तथा (II) के अन्तर्गत नहीं आते	वेतन का 10 बशर्ते कि रु० 325/– प्रति माह से अधिक न हो ।
(iv) क्षेत्र III	वेतन का 80% बशर्ते कि रु० 300/– प्रति माह से अधिक न हो ।

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद सुपुर्द करता हो तो वहां वह अधिकारी ऐसे मकान भत्ता का पात्र होगा जो उसके द्वारा अपने निवास स्थान के लिए संदत्त वास्तविक किराए की उसके मूल वेतन के 6% से अधिकता बराबर राशि होगी या कॉलम II में उल्लिखित दरें जो अन्यथा संदत्त अधिकतम मकान किराया भत्ता के 175% से अधिकतम बराबर राशि, जो भी कम हो ।

स्पष्टीकरण :

1–4–1990 से लागू

1 (आ) जहां बैंक द्वारा मकान किराया पर लिया गया हो, बैंक द्वारा संदत्त संविदम किराया या उपर्युक्त (अ) में प्रणाली के अनुसार परिकलित किराया जो भी कम हो ।

(2) इस विनियम एवं विनियम 23 में क्षेत्र I, क्षेत्र II तथा क्षेत्र III का तात्पर्य निम्नलिखित होगा :—

क्षेत्र I —ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक न हो

क्षेत्र II—क्षेत्र I में सम्मिलित महानगरों को छोड़कर सभी महानगर, जिनकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो ।

क्षेत्र III—क्षेत्र I तथा क्षेत्र II में सम्मिलित नगरों को छोड़कर सभी नगर ।

(इ) विनियम 24 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"24(I) प्रत्येक अधिकारी अपनी और अपने परिवार की बाबत अपने द्वारा वास्तव में उपगत चिकित्सीय व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा अर्थात :

(क) **चिकित्सीय व्यय** :

1–1–1990 से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट वेतन परास में किसी अधिकारी और उसके परिवार के चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति स्वयं अधिकारी के ही इस प्रमाण-पत्र के आधार पर कि उसने ऐसा व्यय उपगत किया है जिसके समर्थन स्वरुप दावाकृत रकमों के लिए लेखा विवरण दिया जाएगा, सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सीमा तक की जा सकेगी ।

सारणी

वेतन परास	वार्षिक प्रतिपूर्ति की सीमा
1	2
रु० 2,100/– से रु० 3,060/– तक प्रति माह	रु० 750/–
रु० 3,061 प्रति माह और उससे अधिक	रु० 1,000/–

टिप्पणी : किसी अधिकारी को ऐसी चिकित्सीय सहायता का जिसका लाभ नहीं उठाया गया है, किसी समय ऊपर उपबंधित अधिकतम रकम के अधिक से अधिक तीन गुने तक संचित किया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी का "कुटुम्ब" केवल पति, पत्नी, पूर्णतया आश्रित बच्चे एवं पूर्णतया आश्रित माता-पिता से मिलकर बनेगा ।

(ख) **अस्पताल में भर्ती व्यय** :

(i) 1–4–1989 से अस्पताल में भर्ती प्रभारों की किसी अधिकारी की दशा में 90% तथा उसके कुटुम्ब के सदस्यों की दशा में 60% तक उन मामलों में प्रतिपूर्ति की जाएगी जिनमें अस्पताल में भर्ती किया जाना अपेक्षित है । बिल वाउचर आदि के आधार पर खर्च किए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा ।

(ii) यथास्थिति अधिकारियों या उनके कुटुम्बों के सदस्यों से यह प्रत्याशा है कि वे सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल अर्थात किसी न्यास, पूर्ति संस्था या धार्मिक मिशन के प्रबंधनाधीन अस्पतालों में भर्ती हों । किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारी या उनके कुटुम्ब के सदस्य या दोनों किसी अनुमोदित प्राइवेट नर्सिंग होम या बैंक द्वाराअ नुमोदित प्राइवेट अस्पतालों की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे । किंतु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति उस रकम तक निर्बन्धित होगी जिसकी उस दशा में प्रतिपूर्ति की जाती जब रोगी को ऊपर उल्लिखित अस्पतालों में से किसी में भर्ती किया जाता ।

(iii) 1-4-1989 को और से निम्नलिखित रोग जिनके लिए आवासीय चिकित्सा की जरूरत है जिसे मान्यता प्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है उसमें उपगत व्यय, अस्पताल में भर्ती व्यय माने जाएंगे और अधिकारी के मामले में व्यय का 90 % तक और उनके परिवार के मामले में 60 % तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

कैंसर, क्षय रोग, लकवा, हृदय रोग, अर्बुद, चेचक, फुप्फुसावरण शॉथ, रोहिणी, कोढ़, गुर्दा रोग ।

(घ) विनियम 24 के अन्तर्गत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित है : "कामगार कर्मचारियों के लिए विनियम 24 (1) (ख) (1) के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती की प्रतिपूर्ति द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती योजना की शर्तों के अनुसार होगी तथा इनकी सीमाएं निम्नलिखित हैं :

अधिकारी का वेतनमान	सीमाएं
(i) कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड वेतनमान I तथा मध्यम प्रबंध ग्रेड वेतन मानII तथा III	कामगार कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती योजना के अन्तर्गत लागू सीमाओं की डेढ़ गुनी
(ii) वरिष्ठ प्रबंध ग्रेड वेतनमान IV तथा V तथा उच्च कार्यपालक ग्रेड वेतनमान VI तथा VII	कामगार कर्मचारियों की अस्पताल में भर्ती योजना के अन्तर्गत लागू सीमाओं की दुगुनी

(ङ) विनियम 33 (4) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

33 (4) 1-1-1990 को और से विशेषाधिकार छुट्टी वहां के सिवाय जहां छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है और वह नामंजूर कर दी गई है 240 दिन से अधिक संचित नहीं हो सकेगी ।

पी० आर० भंडारी,
मुख्य प्रबंधक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बम्बई-400005, दिनांक 18 जुलाई 1991

सं० 3-डब्ल्यू० सी० ए० (8)/3/ 91-92— चार्टर्ड प्राप्त लेखा विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि, निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र का उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिया गया है क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं है :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	32240	श्री धननजय बी०शाह, ए०सी०ए०, 3, अतुर हाउस, डा० अनी बिसेंट रोड, वर्ली नाका, बम्बई-400018	01-04-91
2.	34390	श्री प्यूश ए० वोरा, एफ०सी०ए०, करीमजी बिल्डिंग, 1ला मंजिला, III-ए, महात्मा गांधी रोड, बम्बई यूनिवर्सिटी के सामने, बम्बई-400023	01-04-91
3.	37132	श्री हितेंद्र ए० हरिआ, ए०सी०ए०, 154/8, जय दुर्गा, सायन मेंन रोड, सायन (पूर्व), बम्बई-400022	18-05-91
4.	39797	श्री सचिन ए० बुछे, ए०सी०ए०, 61, शिवाजी नगर, नागपुर-440010	08-05-91
5.	44599	श्री रविन्द्र आर० भट, ए०सी०ए०, के०एम०पी०जी० पीट मार-विक, चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार, चेम्बर्स ऑफ कामर्स बिल्डिंग पी०ओ० बॉक्स 3800,दिरा दुबई (यू०ए०ई०)	22-04-91
6.	43732	कु० मालविका एस० केटकर, ए०सी०ए०, 14, गार्डन विव, 756, पारसी कालोनी, दादर, बम्बई-400014	01-04-91
7.	44974	श्री पंकज जे० बागडी, ए०सी०ए०, नल साहेब, चौक, नागपुर-18	07-05-91

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
8.	72535	श्री समीर कक्कर, ए०सी०ए०, 814/815, तुलसियानी चेम्बर्स, 212 नरीमान पाइंट, बम्बई-400021	01-06-91

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

कलकत्ता-700071, दिनांक 26 जुलाई 1991

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3-ई० सी० ए० (8)/2/91-92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपना प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्रम सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	1651	श्री अमरेन्द्र किशोर बनिक, एफ० सी० ए०, 121ए, सप्तापर्नी, 12 फ्लोर, 58/1, बल्लीगंज सर्कुलर रोड, कलकत्ता-700 019	30-6-91
2.	1847	श्री मिलन रंजन मजूमदार, ए० सी० ए०, 406/3, ब्लॉक जी, न्यू अलीपोर, कलकत्ता-700 053	23-4-91
3.	4975	श्री प्रद्योत कुमार पाल एफ० सी० ए०, केयर ऑफ मुखर्जी बिश्वास एण्ड पाठक 5 एण्ड 6 फेंसी लेन, कलकत्ता-700 001	9-5-91
4.	11719	श्री बिमल कुमार अग्रवाल एफ० सी० ए० 54ए जकारिया स्ट्रीट कलकत्ता-700 073	1-4-91
5.	14178	श्री समीर कुमार भट्टाचार्या, एफ० सी० ए० 23/27 गरियाहाट रोड, पी० ओ० सरत बोस रोड, कलकत्ता-700 029	1-4-91
6.	15880	श्री मृनाल कान्ती रे, एफ० सी० ए०, 49ए बैठक खाना रोड, कलकत्ता-700 009	7-5-91
7.	17500	श्री सत्या रंजन सरकर, एफ० सी० ए०, गोल्फग्रीन अर्बन हाउसिंग, कम्पलैक्स, फेज-2, एम०आई० जी-2, ब्लाक-7, फ्लैट नं० 4, कलकत्ता-700 045	13-5-91
8.	17949	श्री राजेन्द्रा कुमार सेठिया, एफ० सी० ए०, केयर आफ, ओरियंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लि० 9/1, आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700 001	1-4-91
9.	50273	श्री मुकेश कुमार नायर, एफ० सी० ए०, एच जे-17/2 सचिन्द्रा लाल सरानी गौतमपुरा, पी० ओ० अश्विनीनगर, बगुईआटी कलकत्ता-700 059	1-4-91
10.	52254	श्री देबेन्द्रा पांडा, एफ० सी० ए०, कनका दुर्गा फियोथरेपी, होम कैम्पस, एम्पोरियम लेन, रानीहाट, कटक-753 001	17-5-91
11.	52307	श्री सन्तानु मित्रा, ए०सी०ए०, डी एल-88 सैक्टर-2, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता-700 091	17-6-91
12.	52348	श्री भास्कर दास महाजन, एफ० सी० ए०, 162/ए/32 लेक गार्डन्स, कलकत्ता-700 045	8-6-91

1	2	3	4
13.	52822	श्री अरविन्द कुमार सिंह ए० सी० ए० नेशनल अल्युमिनियम कं० लि० कैप्टिव पावर प्लांट डिवीजन अंगुल 759 145	3-6-91
14.	52878	श्री दीपक आध्या, ए०सी०ए० 100ई० ब्लॉक एफ न्यू अलीपोर कलकत्ता-700 053	15-5-91
15.	52838	श्री माले गोस्वामी, एफ० सी० ए० 4/25 फर्न रोड, कलकत्ता-700 019	16-4-91
16.	52899	श्री विश्वनाथ रॉय ए०सी०ए० ब्लॉक एफडी-93 सेक्टर-3 साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता-700 091	2--5-91
17.	53401	श्री अरुण कुमार शर्मा ए० सी० ए० 485 रविन्द्र सरानी कलकत्ता-700 005	28-6-91
18.	53706	श्री दीपक चतरथ ए० सी० ए० पी-82, सी० आई० टी० रोड लककत्ता-700014	1-4-91
19.	53733	श्री दीपककुमार साहा, ए० सी० ए० 50/1 मकरदाहा रोड, हावडा–711101	28-6-91
20.	54785	श्री अभिजीत बंदोपाध्याय ए० सी० ए० पी-०219, सी० आई० टी० स्कीम 6 एम० कलकत्ता–700054	1-4-91
21.	57986	श्री मालेकुमार मजूमदार ए० सी० ए० एच/6, अशोक एवेन्यू कलकत्ता-700040	27-5-91
22.	55124	श्री अरूण ए० लुल्ला ए० सी० ए० 26 डा० सुन्दरी मोहन एवेन्यू 2 फ्लोर फलैट नं० 3 कलकत्ता–700014	25-4-91
23.	55267	श्री प्रबीर मुखोपाध्याय ए० सी० ए० 75/3 सुल्तान आलम रोड कलकत्ता–700033	1-4-91
24.	26828	श्री एन० टी० मूर्थी ए० सी० ए० केयर ऑफ टी वी० कृष्णन 25, मोतीलाल नेहरू रोड कलकत्ता-700029	29-5-91

एम० सी० नरसिम्हन
सचिव

मद्रास–600034, दिनांक 25 जुलाई 1991

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3–एस० सी० ए० (5)/4/91-92—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3–एस० सी० ए० (4)/8/90-91 दिनांक 1 दिसम्बर 1990, 4-सी० ए (1) 17/71–72 दिनांक 18 दिसंबर, 1971, 3-एस० सी० ए० (4)/12/89/90 दिनांक 25 अक्तूबर 1989 और 3–एस० सी० ए (4)/17–89–90 दिनांक 5 मई 1990, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है ।

क्रं०सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	4896	श्री सत्यानारायनामूर्थी एन, एफ० सी० ए०, 2–2–1/18/4/36 बाग अम्बरपेट, हैदराबाद-500013.	6-5-91
2.	6619	श्री पुन्नेन पुलिकोड जैकब, ए० सी० ए० केयर ऑफ टैक्नीकल एंड ट्रेडिंग कं०, पी० ओ० बोक्स 49, दुबई, यू० ए० ई०	26-11-90

1	2	3	4
3.	8015	श्री संथानम जी०, एफ० सी० ए०, मैम्बर आई टी० ए० टी० ओफिस ओफ दि० आई० टी० ए० टी० 35/389 कालाथिपरिम्बल रोड़, कोचीन–682016.	7–6–91
4.	13214	श्री कुरीयन पी० के०, एफ०सी०ए०, चेम्पीकुलम, पट्टम, त्रिवेन्द्रम, 695004	6–6–91
5.	14877	श्री कुमार टी० वी० ए० सी० ए०, जैएलएन पंगलिमा पोलिम 4/135 केबया रोड बारू, जकार्ता, इंडोनेशिया	16–5–91
6.	15237	श्री कामथ के०के० ए० सी० ए०, चीफ एकाउन्टैन्ट्स दहरैन कुवैत इंश्योरेंस कं०, बी० एस० सी०, पी० ओ० बोक्स 10166. डिप्लोमैटिक एरिया, स्टेट आफ बहरैन	18–6–91
7.	16364	श्री शिवाकुमार के वी०, ए० सी० ए०, नं० 16, 22 ईस्ट क्रोस रोड गांधी नगर, वेल्लोर 632006.	7–5–91
8.	19085	श्री बाबू ए० वी० ए० सी० ए०, अट्टोकरेन्स हाऊस, पेरिनगाडु, त्रिचूर–680018	18–6–91
9.	19100	श्री जैकम मैथ्यू, ए० सी० ए० फाईनेन्शियल कन्ट्रोलर, अल मफरक मेडिकम सेंटर, पी० ओ० बोक्स 46266 आबू धाबी यू० ए० ई०	31–5–91
10.	19240	श्री सुरेश पाई० के०, एफ० सी० ए०, केयर आफ वी० ए० माल्या, 75 स्ट्रीट रूतलेंडगेट, मद्रास–600006.	19–6–91
11.	20721	श्री धरा सेट्टी एम०, ए० सी० ए०, पी० ओ० बोक्स 4048 आबू धाबी यू०ए०ई०,	29–5–91
12.	20738	श्री वेंकटा रामानन वी०, ए० सी० ए०, 114, जोली मेकम अपार्टमैंटस नं० 2, कफे परोड़, बम्बई–400005.	17–5–91
13.	20934	श्री अनबाझगन आर०, एफ० सी० ए०, 39, नटेसन स्ट्रीट, टी० नगर, मद्रास–600017.	9–5–91
14.	21010	श्री पानीराज एस०, ए० सी० ए०, फाईनेन्शियल कन्ट्रोलर, न्यान्जा बोटलिंग कं० लि० पी० ओ० बोक्स 104, मवान्जा, तंजानिया	3–5–91
15.	21705	श्री नरसिम्हा प्रसाद जी०, एफ० सी० सी०, 20/399 1 फलोर, मद्रास रोड़, कुड्डापाह–516001	9–5–91
16.	22564	श्री जोस टी० एम०, ए० सी० ए०, पोस्ट बोक्स–9109. दुबई, यू० ए०ई०	1–4–91
17.	22995	श्री राधा कृष्णन एस०, ए० सी० ए०. एकाउन्टम एग्जीक्यूटिव सुहैल एंड सौट भवन बिल्डिंग मेटेरियल्स एल० एल० सी० पी० ओ० बोक्स 169, मुस्टक	20–5–91
18.	25556	श्री पद्मनाभन एन०, ए० सी० ए०, पो० ओ० बोक्स नं० 174, दर इस सलाम, तंजानिया	13–5–91

1	2	3	4
19.	27105	श्री नन्दूरी प्रसाद, ए० सी० ए०, पी० ओ० बॉक्स 247, फ्रान्सिसटाउन, बोट्सवाना अफ्रीका	10-6-91
20.	27550	श्री वेंकटाचलम बी०, ए० सी० ए०, एसिस्टेंट मैनेजर (एकाउन्टेंटस) अण्णाई सत्या ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, धरमापुरी	18-6-91
21.	27644	श्री चन्द्रा मौली ई० एस०, ए० सी० ए०, एक्जीक्यूटिव इन्टरनल ओडिट, लारसन एण्ड टोब्रो लि० पोवई वर्क्स, साकी विहार रोड, बंबई-400072	21-5-91
22.	28870	श्री श्रीनिवासन आर०, ए० सी० ए० आर० 13/18, राज नगर, गाजियाबाद-201 001	10-6-91
23.	88085	श्री कृष्णन एस०, ए० सी० ए०, एसिस्टेंट मैनेजर, फाईनेंस, अपोलो होस्पिटल, जुबिली हिल्स हैदराबाद-500034	18-6-91

सं० 3-एस०सी०ए० (8)/3/91-92—चार्टर्ड प्रा० लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों का प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपना प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं है।

क्र०संख्या	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	2541	श्री वेंकटाकृष्णन बी०, ए० सी० ए०, 16, लोयड्स फस्ट लेन, रोयापेट्टाह, मद्रास 600014।	1-4-91
2.	4232	श्री पदमानाभन के०, एफ० सी० ए०, एन० 4, 24 मैन, जे०पी० नगर 1 फेज, बंगलोर-560078।	14-9-90
3.	4998	श्री परमेश्वरन ए० एस०, एफ० सी० ए०, आश्रम नियर सेंट्रल स्टेडियम, टी०सी०/26/538, त्रिवेन्द्रम-695001।	1-4-91
4.	7213	श्री वासुदेवा राव सावनुर नारायमामु ए० सी० ए०, सी० 4 कुद्रेमुख, कालोनी 2 ब्लॉक, कोरामंगला, बंगलोर-5600034।	1-10-90
5.	8679	श्री नरसिम्हन एस०, एफ० सी० ए०, 24, बेसंत रोड, रोयापेट्टाह, मद्रास-600014।	1-4-91
6.	14434	श्री सुब्रामनियन टी० एस०, ए० सी० ए., एकाउन्ट्स मैनेजर, एच० एंड पी० डिविजन, बी० ई० एम० एल० कोलार गोल्ड फील्डस 563115	1-4-91
7.	18126	श्री जगदीशन पी० वी०, ए० सी० ए० कम्पट्रोलर ऑफ टोटलाईजेटर्स डिपार्टमेंट ऑफ रेसिंग, ग्यून्डि, मद्रास-600032।	1-4-91
8.	19327	श्री अप्पालाचारयुलु टी०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 12-2-417/ए/16, जयानगर, एल० आई० सी० कालोनी, हैदराबाद-500028।	1-4-91
9.	21780	श्री जैन शांतिलाल डी०, एफ० सी० ए०, 2 फ्लोर, गनेशंकर बिल्डिंग मराठी गली, हुबली-580020।	1-4-91

1	2	3	4
10.	22350	श्री रयाज अहमद, ए० सी० ए० नं० 11, इफैन्ट्री रोड़ क्रोस, बंगलोर–560001 ।	18–2–91
11.	22474	श्री विश्वनाथन के० एच– एफ० सी० ए०, 12/199, दरगा बाजार प्रोड्डाटटूर–516360 ।	5–6–91
12.	24560	मिस उमा रामाकृष्णन, ए० सी० ए०, 42, मधवा रोड, महालिंगापुरम मद्रास–600034 ।	1–4–91
13.	25098	श्री रामाकृष्णन एन०, ए० सी० ए०, 179, हुडको कालोनी, टाटाबाद, कोयम्बटूर–641012 ।	25–3–91
14.	26278	श्री सुब्रामनियन के० वी० ए० सी० ए०, नं० 14, 1 फ्लोर फस्ट स्ट्रीट, परमेश्वरी नगर अदयार, मद्रास–600020 ।	21–5–91
15.	26473	श्री राजेन्द्रा बाफना टी० ए० सी० ए०, 306 पुरोहित हाउस 144 मिंट स्ट्रीट मद्रास–600079 ।	1–6–91
16.	28767	श्री रामनारायन एम० वी० ए० सी० ए०, म्यू नं० 4, 2 मैन रोड. कस्तूरबा नगर, पाइपलाइन वैस्ट, मैसूर रोड़, बंगलोर–560026 ।	1–4–91
17.	29116	श्री बालासुन्दरम एस०, ए० सी० ए०, 901, 10 क्रोस, 22 मेन, 2 फेज, जे० पी० नगर, बंगलोर-560 078	1-4-91
18.	29297	श्री वेंकटेशन एस०, ए० सी० ए०, पी० ओ० बॉक्स 350, दोहा, कतार-0	1-4-91
19.	29301	श्री अयर गोविन्द सीताराम, ए० सी० ए०, 640, स्ट्राटफोर्ड ग्रीन, एथनडाले, जोजिया-30002, यू० एस०ए०	23-8-90
20.	29416	श्री रामानाथ एस०, ए० सी० ए०, 12 तुक्काराम स्ट्रीट, टी नगर, मद्रास-600 017	10-6-91
21.	29425	श्री शेखर टी० एस०, ए० सी० ए०, 129, 5 क्रोस, आई० टी०आई० लेआउट, जे पी नगर, 1 फेज, बंगलोर-560 078	1-4-91
22.	29473	श्री धयानिथी एस०, ए० सी० ए०, 5/1, अन्ना स्ट्रीट, मादीपक्कम, मद्रास-600 091	1-4-91
23.	29677	श्री प्रभाकरन ए०, ए० सी०ए०, 13 एन जी ओ "बी" कालोनी, शंकरनकोविल-627 756	25-6-91
24.	200196	श्री कल्यानासुन्दरम एम०, ए० सी० ए०, नं० 83, मेट्टु स्ट्रीट, कुम्बाकोनम-612 001	1-4-91
25.	200 593	श्री सीरियल जोहन एम०, ए० सी० ए०, मन्नूपरम्बिल, किझाथावियूर, पलाई-686 574	21-5-91

सं० 3-एस० सी० ए० (8)/4/91-92—रेगुलेशन/10 (1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगुलेशन 1988 के अधिनियम, 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों का कार्य करने का प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से

रद्द समझे जायेंगे क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था ।

क्रम० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	26762	श्री सजीव बी० मैनन, ए० सी० ए०, अर्चना (कोराठाट), नोर्थ फोर्ट गेट, त्रिपूनिथुरा– 682 301 इरनाकुलम ।	1-10-88
2.	11217	श्री कुमारानाथन जे०, ए० सी० ए०, नं० 2, नोरटन फस्ट स्ट्रीट, मंडावेलीपक्कम, मद्रास-600 028	1-8-83
3.	34927	श्री विवेक राम नायक, ए० सी० ए०, केयर आफ के पी एम जी फखरो पब्लिक एकाउन्ट्स एण्ड कंसल्टैन्ट्स, 5 फ्लोर, चेम्बर्स आफ कामर्स बिल्डिंग, पी० ओ० बॉक्स 710, मनामा, बहरैन-0	1-10-90

एम० सी० नरसिम्हन
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 1991

सं० ए–38/80–बीमा–4 —सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 6 मार्च, 1991 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया—

"कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25–8–1983 को सम्पन्न बैठक में पारित संकल्प का अतिक्रमण करते हुए यह संकल्प किया जाता है कि निगम के महानिदेशक, चिकित्सा आयुक्त, बीमा आयुक्त, निदेशक (प्रशासन), निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली, सभी संयुक्त बीमा आयुक्त (उप बीमा आयुक्त, प्रशासन अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक, संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक, उप क्षेत्रीय निदेशक, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, उप चिकित्सा आयुक्त, प्रभारी निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, प्रभारी संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, प्रबन्धक, बीमा निरीक्षक तथा अधीक्षक निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत किये जाते हैं ।

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों, में निगम के नाम में वाद संस्थित करना और निगम के हित में आवश्यक अन्य विधिक कार्यवाहियां करना तथा निगम के विरूद्ध संस्थित इस प्रकार की कार्यवाहियों में प्रतिवाद करना और

(2) उन मामलों में सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में निगम का प्रतिनिधित्व करना जिनमें निगम एक पक्षकार के रूप में है तथा निगम की ओर से कार्य करना, उपस्थित होना, आवेदन करना, पैरवी करना तथा धन वापिस लेना ।

कुसुम प्रसाद,
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई, 1991

सं० यू० 16/53/89–चि० 2 (उ० प्र०) —कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23–5–1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल (डा०) बी० एल० कत्याल, 117/311, एच–1 ब्लाक माडल टाउन, पांडुनगर, कानपुर को कानपुर केन्द्र में उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तरी जोन) द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 4–5–1991 से अगली एक वर्ष की अवधि या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी के पद पर सेवा का विस्तार करने की मंजूरी देता हूं और उसे चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करता हूं ।

डा० कृष्णमोहन सक्सेना
चिकित्सा आयुक्त

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम
प्रधान कार्यालय

बम्बई–400039, दिनांक 31 जुलाई, 1991

शुद्धि पत्र

भारत के राजपत्र के दिनांक 23 फरवरी 1991 के अंक के भाग III खण्ड 4 के पृष्ठ 359 के कालम एक में प्रकाशित अधिसूचना सं० डी० आई० सी० जी० सी 309/बी० एस– 17–91 के विनियम 1(2) में मुद्रित "29 सितम्बर, 1939" को "29 सितम्बर, 1989" पढ़ा जाए।

आई० टी वाज,
निदेशक

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय,
नई दिल्ली–110001, दिनांक 28 जून, 1991

सं० के० भ० नि० आ० 1(4)/पंजाब (250)/91/919 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गये हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	पी० एन/10950	मै० निकू टैक्सटाईल मिल्स (प्रा०) लि०, आई०/ एस ओसवाल वूलन मिल्स, जी० टी० रोड, शेरपुर, लुधियाना और इसका रजि० आफिस बम्बई में।	1–1–1987
2.	पी० एन०/12250	मै० विकटर इण्डस्ट्रीयल सिक्यूरिटी, एस० पी० ओ० 345-46, सेक्टर 35/बी, चण्डीगढ़	1–9–1989

अत: केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है।

दिनांक 29 जुलाई 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्साम/89/भाग-1/1244—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केरल ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मैसर्स दा इन्डियन काफी बोर्ड वर्क्स कापरेटिव सोसायटी लि० नं० 4227 एम० ओ० एम० जी० रोड, पी० बी० नं० 184, त्रिचूर-68001	के० आर/1971	1-6-87 से 30-9-90	2/3720/90–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स जी० टी० एन० टैक्सटाइल पी० बी० नं० 101, आलवेय-683101	के० आर०/2230	1-7-88 से 30-6-91	2/3719/91–डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने से एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1250—जहां मैसर्स दी ए. पी. श्रीम्प सीड प्रोडक्शनस सप्लाई एण्ड रिसर्च सेन्टर, डी नं. 48-7-9 (मिडिल फ्लोर) रमा टाकीज रोड़, श्रीनगर, विशाखापट्टनम-530016 (कोड संख्या : ए.पी./17584) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विशाखापट्टनम ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । दिनांक 1-9-90 से 31-8-93 तक) ।

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी ओर से आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/बी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1256—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी खंडों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई	के० भ० नि०आ० फाइल सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स अशोक फाउण्डरी मैटल्स वर्क्स लि०, 101, 103, इन्डस्ट्रीयल एरिया, जोटवारा, जयपुर।	आर० जे०/1642	2/1959/डी एल आई/ एक्जम/1191 दिनांक 21-12-89	23-11-90	24-11-90 से 23-11-93	2/1096/84— डी० एल० आई०
2.	भीलवाड़ा सिन्थैटिक्स लि०, पी० बी० नं० 17, भीलवाड़ा (राजस्थान)	आर०जे०/1681	एस-35014/27/84/ पी० एफ० 11/एसएस 11, दिनांक 29-2-88	16-3-90	17-3-90 से 16-3-93	2/542/90— डी० एल० आई०
3.	मैसर्स आदर्श एंटरप्राईजिज 12-ए, हैवी इन्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर	आर०जे०/1884	एस/35014/54/87/ एस ०एस० 11, दिनांक 25-5-87	24-5-90	25-5-90 से 24-5-93	2/1522/90— डी० एल० आई०
4.	मैसर्स जैन केबल प्रा० (लि०) जन्था डिस्ट्रीक्ट पाली, (राजस्थान)	आर०जे/2920	2/1959/डी० एल० आई०/89/पार्ट-1/861, दिनांक 17-10-84	28-2-91	1-3-91 से 28-2-94	2/2285/91— डी० एल० आई०
5.	मैसर्स बोरा सिमेंट (प्रा०) लि०, जन्था पाली (राजस्थान)	आर०जे० /3009	2/1959/डी एल आई/ एक्जाम/89/पार्ट-1, दिनांक 17-10-89	28-2-91	1-3-91 से 28-2-94	2/2288/89— डी० एल०आई०
6.	मैसर्स बून्दी चित्तौड़गढ़ कस्त्रीया ग्रामीण बैंक, हैड आफिस, खोजा, गेट रोड, बून्दी।	आर०जे०/4427	2/1959/डी एल आई/ एक्जाम/89/पार्ट-1, दिनांक 17-10-89	30-6-91	1-7-91 से 30-6-94	2/2294/89— डी० एल० आई०
7.	मैसर्स स्वास्तिका टैक्सटाईल 56, रिक्को इन्डस्ट्रीयल एरिया, भीलवाड़ा (राजस्थान)	आर०जे०/4487	2/1959/89/एक्जाम/ पार्ट-1/292, दिनांक 9-1-1990	31-1-91	1-2-91 से 31-1-94	2/2227/89— डी० एल ०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के

सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने में एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एन. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1262—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-I में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-I में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मैसर्स कल्पना केमिकल्स (प्रा०) लि०, रोड नं० 5, नाचाराम, आई० डी० ए०, हैदराबाद-501507 (ए० पी०)	ए० पी० /6244	1-11-89 से 31-10-92	2/3714/91—डी० एल० आई०
2.	मैसर्स श्री रायलासीमा अल्कालिस एंड अलाईड केमिकल्स लि० गोन्डीपरला, करनूल-518004 (ए० पी०)	ए० पी०/20817	1-12-90 से 30-11-93	2/3715/91—डी० एल० आई०
3.	मैसर्स सूर्याट्रोनिक्स प्रा० लि०, 12-5-28/2912, तरनाका, हैदराबाद-500017 (ए० पी०)	ए० पी० /18041	1-12-90 से 30-11-93	2/3716/91—डी० एल० आई०
4.	मैसर्स सुधाकर पी० बी० सी० प्रोडक्ट्स, इन्डस्ट्रीयल ऐस्टेट (बी-8 प्लाट), सूर्यापट-508214 (ए० पी०) जिला नालगोन्डा	ए० पी० /6617	1-8-90 से 31-7-93	2/3717/91—डी० एल० आई०

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या यह स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1268—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापन का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल नं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मैसर्स आटो स्पेयर्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, 8-बी, हैवी इंडस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर	आर० जे०/2140	1-1-90 से 31-12-92	2/3693/91–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स जे० के० वूलन इन्डस्ट्रीज बीकानेर	आर० जे०/3045	1-6-89 से 31-5-92	2/3694/91–डी० एल० आई०
3.	राजस्थान कम्यूनिकेशनस लि०, 3, कनकपुरा, इण्डस्ट्रीयल एरिया, कनकपुरा, जयपुर-302012	आर० जे०/3993	1-1-89 से 31-12-91	2/3695/90–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स एवन उद्योग, जी-121, मारुधर इंडस्ट्रीयल एरिया, वसानी-12, फेज जोधपुर।	आर० जे०/4078	1-10-88 से 30-9-91	2/3696/91–डी० एल० आई०
5.	मैसर्स सोना इन्जिनियर्स (प्रा०) लि०, 87, चेतक मार्ग, उदयपुर-313001	आर० जे०/4329	1-3-89 से 29-2-92	2/3697/91–डी० एल० आई०
6.	जे० के० वूलन इंडस्ट्रीज (यूनिट-2), बीकानेर	आर० जे०/4492	1-6-89 से 31-5-92	2/3698/91–डी० एल० आई०
7.	मैसर्स कानूनगो एलायस (प्रा०) लि०, सी-234–2345, नया-2 सरा फ्रेस, बासनी, जोधपुर (राजस्थान)	आर० जे०/4916	1-11-88 से 30-10-91	2/3699/91–डी० एल० आई०
8.	मैसर्स साबू इन्जिनियर्स ई-24 मरुधर इंडस्ट्रीयल एरिया, दूसरी बासनी, जोधपुर-342003	आर० जे० /4954	1-9-88 से 31-8-91	2/3700/91–डी० एल० आई०
9.	मैसर्स महेश टैक्सटाईल मिल्स, ई-225, मरुधर इन्डस्ट्रीयल एरिया, 11 फ़ेज, बासनी, जोधपुर	आर० जे०/4989	1-4-89 से 31-3-92	2/3702/91–डी० एल० आई०
10.	मैसर्स सरला मारबलस (प्रा०) अम्बारी, उदयपुर	आर० जे०/5223	1-1-90 से 31-12-92	2/3702/91–डी० एल० आई०
11.	मैसर्स जनता स्वीट होम (प्रा०) लि० जोधपुर	आर० जे०/6310	1-2-90 से 31-1-93	2/3703/91–

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशो-

धन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों का प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना का कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/बी. एस. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1274—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-।। में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की

बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं० एफ० पी० 1(147)/91/1280—जहां मैसर्स बी० एच० ई० एल० रानीपेठ, कोड संख्या टी० एन०17199 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा (17) (1 सी) के के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिये संलग्न परिशिष्ट–1 में जिनके नाम दर्शाये हैं, ने अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवेदन भेजे हैं ।

चूंकि मैं, ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट हूं कि भारत सरकार पेंशन नियम (सी सी० एस० पेंशन नियम) के अन्तर्गत परिवार पेंशन के रूप में लाभ जो कि उक्त स्थापना के कर्मचारियों पर लागू है कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल है ।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1–सी०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त स्थापना के कर्मचारियों को जैसी कि इस अनुसूची–1 में दिया गया है, जो कि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की नौकरी में थे तथा सी० सी० एस० पेंशन नियमों द्वारा शासित थे निम्नलिखित शर्तों पर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या नौकरी की अन्तिम तिथि से उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो सरकार के 22–1–90 के आदेश के अनुसरण में 22–1–90 से 21–7–90 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा निवृत्त हुए को कर्मचारी पेंशन स्कीम के सभी उपबन्धों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूं ।

1. ये कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 के अन्तर्गत किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

2. कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिये एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा ।

3. उक्त प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित नियोक्ता संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे रिटर्न भेजेगा, वे लेखे तैयार करेगा और निरीक्षण करने की वे सुविधायें देगा जिसे समय-समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निदेश करेगा

अनुसूची– I

संस्थापना का नाम —बी० एच० ई० एल० रानीपत

कोड सं० टी० एन 17199

क्रम सं०	नाम/पद	कोड सं०
1	2	3
1.	एस० चिदम्बरानाथन वरिष्ठ लेखाकार	टी० एन० 17199
2.	आर० के० राय वरिष्ठ मैनेजर (ई० डी० पी०)	,,
3.	वी० एस० वेंकटारामन वरिष्ठ लेखाकार–I	,,

1	2	3
4.	एस० शिवरमन वरिष्ठ लेखाकार-I	टी० एन० 17199
5.	के० स्वमीनाथन वरिष्ठ लेखाकार-I	,,
6.	वी० नवनीतकृष्णन मुख्य सुपरवाईजर	,,
7.	आर० जम्बुनाथन मुख्य सुपरवाइजर	,,
8.	एम० सी० विजयनारंग वरिष्ठ लेखाकार-II	,,
9.	एस० हरिहरनायनयर्चं आई० ई० एफ० सुपरवाईजर	,,
10.	एस० लक्ष्मीनारायणन वरिष्ठ लेखाकार-II	,,
11.	आर० रंगानाथन वरिष्ठ लेखाकार-II	,,
12.	बी० जी० रमना वरिष्ठ लेखाकार-I	,,
14.	एम० रामाकृष्णन वरिष्ठ लेखाकार अधिकारी	,,
14.	डी० राजारथनाम लेखाअधिकारी	,,
15.	टी० वी० राजाप्पन वरिष्ठ लेखाकार-I	,,
16.	एस० रंगानाथन उप प्रबन्धक (वित्त)	,,
17.	एस० श्रीनिवास गोपालन उप प्रबन्धक	टी०एन० 17199
18.	ई० गोविन्दा स्वामी उप प्रबन्धक (यातायात)	,,
19.	एन० रघुनाथन वरिष्ठ लेखाकार-I	,,

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1284—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम की सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए के०भ०नि० आ० छूट दी गई है	फाइल नं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि०, ओखला नई दिल्ली-110020	डी०एल०/682	एस-35014/2/61/82 पी०एफ० 11/एस.एस.1/ दिनांक 11-3-86	17-9-88	18-9-88 से 17-9-91	2/722/82-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेटरीज ओखला, नई दिल्ली-110020	डी०एल०/1546	2/1959/डी०एल०आई/ एक्जाम/89/पार्ट-1, दिनांक 10-10-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/722/82-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स एस०एन०एस० फार्मा प्रा.लि. 11, कमयूनिटी सेन्टर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110065	डी०एल०/8859	2/1959/डी०एल०आई० एक्जाम/89/पार्ट-1, दिनांक 8-8-89	28-2-90	1-3-91 से 28-2-94	2/2112/89/ डी० एल० आई०

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1290—जहां मैसर्स मीनाक्षी एण्ड कम्पनी, पो. बा. नं. 39, 38 नार्थ कार स्ट्रीट, डिन्डीगुल-624001 (टी.एन.3376) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मदुरै ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-11-88 से 31-10-91 तक) ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/बी. एस. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1296—जहां मैसर्स बी.एच.ई.एल. इन्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव सर्विस सोसायटी लि., बी.एच.ई.एल. इन्डोकोसिव बी.एच.ई.एल. त्रिची-620014 (टी.एल./23166) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त त्रिची ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-3-89 से 28-2-92 तक) ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा

प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1302—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, ती. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा इल सं०
1.	मैसर्स प्रिमियर इन्डस्ट्रीज गुनहाउस के सामने, खानपुर, अहमदाबाद-380001	जी० जे०/6527—ए	1-2-87 से 31-1-90 और 1-2-90 से 31-1-93	2/3723/91—डी० एल० आई०
2.	मैसर्स डोमेशा कैमिकल्स (प्रा०) लि०, 82, जी० आई० डी० सी० इन्डस्ट्रीयल एरिया, पोस्ट गुडलेन-396035 बुलसर, गुजरात	जी० जे०/6860	1-11-87 से 31-10-90 और 1-11-90 से 31-10-93	2/3443/91—डी० एल० आई०
3.	मैसर्स इक्जेक्टोथरम (इन्डिया) लि०, 47, जी० आई० डी० सी०, फेस-1, किरन इन्डस्ट्रीज के पास, वातवा, अहमदाबाद	जी० जे०/7788	1-3-89 से 28-2-92	2/3724/91—डी० एल० आई०
4.	मैसर्स टूरेस्ट एक्सपोर्ट लि० टूरेन्ट हाऊस, दिनेश हाल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380001	जी० जे०/10036—बी	1-8-90 से 31-7-93	2/3725/91—डी० एल० आई०
5.	मैसर्स टूरेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स अहमदाबाद—महसाना हाईवे इन्द्रा तालुका (एन० जी०) इंडिया	जी०जे०/10359	1-8-90 से 31-7-93	2/3726/91—डी० एल० आई०
6.	मैसर्स टूरेन्ट फार्मास्यूटिकल्स (प्रा०) लि०, 87/3, जी० आई० डी० सी०, वातवा, अहमदाबाद-382445	जी० जे०/10359—ए	1-8-90 से 31-7-93	2/3735/91—डी० एल० आई०
7.	मैसर्स टैन्ड डिस्ट्रीब्यूटर, टूरेन्ट हाऊस, दिनेश हाल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380001	जी०जे०/14289	1-8-90 से 31-7-93	2/3736/91—डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसका

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्य होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधि वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

दिनांक 31 जुलाई 1991

सं० के० भ० नि० आ/1(4)(बिहार) 262/91/1308:—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	बिहार/5779	मै० मोनुद्दीन खान, 35-ए ब्लाक, धातीदीह, जमशेदपुर 831001	21-4-88
2.	बिहार/2751	मै० गैसोलीन सर्विस प्रा० लि०, एस० पी० वर्मा रोड, पटना-1	1-12-74

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

सं० के० भ० नि० आ० 1(4)/केरल(249)/91/1372/—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केरल/11770	मै० अम्बिका डायरी, पोस्ट आफिस तलो प्रम्बा, तलोप्रम्बा म्युनिसिपेलटी तलीप्रम्बा, कानूर डिस्ट्रीक्ट	31-10-90
2.	केरल/11768	मै० क्रमको ग्रेनाइट क्रशिंग इण्डस्ट्रीज चौकली मंकून पोस्ट आफिस थालासरी कानूर डिस्ट्रीक्ट ।	31-10-90
3.	केरल/11769	मै० उदय ट्रांसपोर्टस (के० आर० एन० 394) मवीराज थावाकरा, कानूर डिस्ट्रीक्ट	31-10-90

(1)	(2)	(3)	(4)
4. केरल/11777	मै० पूराथूर सर्विस कोपरेटिव बैंक, पोस्ट आफिस पूराथूर मालापुरम डिस्ट्रीक्ट		1-12-90
5. केरल/11776	मै० कालीकट ड्रग लाइन्स, पी० बी० 536, 16/915ए, का कलाई रोड, कालीकट-673002		1-10-90

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

दिनांक 1 अगस्त 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1318—जहां मैसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन लि. स्कोप कम्पलैक्स, कोर 2-7, इन्स्टीच्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-3, डी.एल./1338 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या: एस.-35014/49/84/एफ.पी.जी दिनांक 24-5-84 के अनुसरण में संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 23-5-87 से 22-5-90 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 22-5-90 भी शामिल है) ।

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

स. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1324—जहां मैसर्स दि कुमबकोनम सिल्क प्राडूसर को. अ. आपरेटिव सोसाईटी लि., कुमबाकोनम-612001, टी.एन/6939 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ट्रिची ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं। (दिनांक 1-3-89 से 28-2-92 तक)।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना

पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बामाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम्प/89/भाग-1/1330—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैदराबाद ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मैसर्स डी० सी० एल० फाइनेन्स लिमिटेड, डेकन चैम्बर सोमजीगुडा, हैदराबाद-500482	ए० पी०/14124	1-7-88 से 30-6-91	2/3727/91-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स स्पैकसिस्टम प्रा० लिमिटेड, कुशईगुडा, हैदराबाद-500762	ए० पी०/17116	1-3-91 से 28-2-94	2/3738/91-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स ए० पी० बेवरेजज कारपोरेशन लिमिटेड, 6 वीं मंजिल, सम्राट कम्पलैक्स, 5-9-12/1, साईबाबाद, हैदराबाद-500004	ए० पी०/19691	1-4-90 से 31-3-93	2/3729/91-डी० एल० आई०

अनुसूची –

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा

प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1336—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची—I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स आंध्रा प्रदेश स्टील लि०, पलोंचा जिला, खमाम, और संख्या सहित (आन्ध्र प्रदेश)।	ए० पी०/5094	1-3-90 से 28-2-93	2/3732/91—डी० एल० आई०
2.	मैसर्स दि बैंक पोइंट (इंडिया) लि० 3—5—820, (आन्ध्र प्रदेश)	ए० पी०/16274	1-3-88 से 28-2-91	2/3733/91—डी० एल० आई०
3.	मैसर्स रिजेंसी करामिम्स लि०, एन० एन० हाऊस, चिरागली लेन, हैदराबाद-500001 (आन्ध्र प्रदेश)	ए० पी०/18791	1-12-89 से 30-11-92	2/3734/91—डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, ऐसे उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों के उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत संदायों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1342—जहां मैसर्स दि कोयम्बटूर पाईनर मिल्स लि. टैक्साटूरीजिंग यूनिट, आलमथलायम, कोयम्बटूर-638659 टी. एन./55-ए ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कोयम्बटूर ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । दिनांक 1-11-90 से 31-10-93 तक) ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय सत्परता से और दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 2 अगस्त 1991

सं० एफ० पी० 1(32)/84/8098/2537—मैसर्स कोयम्बटूर म्युनिसिपल कारपोरेशन इलेक्ट्रिकल अन्डरटेकिंग, कोयम्बटूर पी० बा० नं० 554 (टी० एन/3339) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 1 (ग) के अन्तर्गत कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था ।

और जबकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपरोक्त स्थापना के कर्मचारियों पर 16-7-1983 से लागू तमिलनाडु म्युनिसिपल सर्विस पेंशन नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध कुटुम्ब पेंशन लाभ उपरोक्त अधिनियम और कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों से किसी भी तरह कम नहीं हैं ।

अतः अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नीचे निर्दिष्ट शर्तों पर मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्द्वारा उपरोक्त स्थापना को कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 के सभी उपबन्धों के प्रचालन से पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात् 19-1-1991 से 18-1-1994 तक छूट प्रदान करता हूं ।

शर्तें —

1. स्थापना के पेंशन नियमों/कुटुम्ब पेंशन स्कीम में किसी भी बात के होते हुए यदि किसी सदस्य को मृत्यु होने पर देय पेंशन की राशि कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 की सदस्यता होने पर कुटुम्ब पेंशन की देय राशि से कम होती है तो नियुक्ता को कुटुम्ब पेंशन को वह राशि मंजूर करनी होगी जबकि कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन, 1971 के अन्तर्गत देय हो ।

2. नियोक्ता को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार लेखे तैयार करने होंगे, रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी और निरीक्षण के लिये सुविधायें प्रदान करनी होंगी ।

3. उपरोक्त स्थापना की कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रशासन में निहित सभी शर्तें नियोक्ता को वहन करने होंगे । जिसमें लेखों का रख-रखाव लेखों और रिटर्नों का प्रस्तुत करने, लेखों का स्थानान्तरण भी शामिल है ।

4. नियोक्ता को केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित उपरोक्त स्थापना के पेंशन नियमों/कुटुम्ब पेंशन स्कीम के नियमों की एक प्रति सभी संशोधनों, यदि कोई हो तो, सहित स्थापना के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी और अधिकांश कर्मकारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उसकी मुख्य विशेषताओं का अनुवाद करके भी बोर्ड पर लगाना होगा ।

5. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना स्थापना के पेंशन नियमों कुटुम्ब पेंशन स्कीम में कोई भी संशोधन नहीं किया जायेगा जोकि कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पहले कमचारियों को अपना मत प्रकट करने के लिये उचित अवसर प्रदान करेंगे ।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

INDUSTRIAL & EXPORT CREDIT DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE

Bombay-400 023, the 30th May 1991

No. IECD.3/87(CP)-90/91.—In exercise of the powers conferred by Section 45K of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the "Non-Banking Companies (Acceptance of Deposits through Commercial Paper) Directions, 1989", (as amended) shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely :—

1. In paragraph 4, for the words "No company shall be ..... requirements" the following shall be submitted

"A company which satisfies the following requirements shall be eligible to issue Commercial Paper subject to the terms and conditions contained in these directions."

2. In sub-paragraph (ii) of paragraph 4, for the figure 15", the figure "10" shall be substituted.

3. In paragraph 5, the existing sub-paragraph (iii) shall be substituted by the following namely :—

"(iii) Every issue of Commercial Paper including renewal) shall be treaed as a fresh issue."

4. In sub-paragraph (i) of paragraph 6 (including the proviso thereunder), the figure "10" shall be substituted by the figure "5" and the figure "50" shall be substituted by the figure "25".

5. The existing sub-paragraph (ii) of para 6 shall be substituted by the following, namely:

"6(ii) The total amount of Commercial Paper proposed to be issued shall be raised within a period of two weeks from the date on which the proposal is taken on record by the financing banking company/the leader as provided herein and may be issued on a single date or in parts on different dates provided that in the latter case, each Commercial Paper shall have the same maturity date."

6. In paragraph 7, the word "twenty" shall be substituted by the word "thirty".

7. The existing paragraph 11 shall be substituted by the following, namely:—

"11. **Procedure for issue of Commercial Paper**

(i) Every company proposing to issue Commercial Paper shall submit a proposal giving details in the form annexed hereto as Schedule II, as modified from time to time by the Reserve Bank, to the banking company which provides the working capital facility (herein referred to as "the financing banking company")/the banking company designated as leader of the consortium arrangement (the leader) for working capital facility, together with the certificate issued by the credit rating agency.

(ii) The financing banking company/leader on receipt of the proposal referred to in sub-para (i), for issue of Commercial Paper shall scrutinise the same and on being satisfied that the eligibility criteria and the terms and conditions stipulated herein for issue of Commercial Paper are complied with by the company, shall take the proposal on record.

(iii) Every company shall thereafter make arrangements for privately placing the issue and ensure that the proposed issue of Commercial Paper, is complete within the period of two weeks.

(iv) The initial investor in Commercial Paper shall pay the discounted value of the Commercial Paper by means of a crossed account payee cheque to the account of the issuing company with the financing banking company/the leader.

(v) The working capital (fund-based) limit of every company issuing the Commercial Paper shall be correspondingly reduced by the financing banking company/the leader, once the Commercial Paper is issued and the financing banking company/the leader shall make necessary adjustments in the account of such company respectively with the banking company/the other member banking companies. As the Commercial Paper will be carved out of the working capital (fund-based) limit of such company with the concerned banking companies, by issue of Commercial Paper, there shall be no increase in its overall short-term borrowing facilities.

(vi) Every company issuing Commercial Paper shall advise the Reserve Bank through the financing banking company/the leader, the amount of Commercial Paper actually issued within three days from the date of completion of issue.

8. In para 12, the words "financing" shall be inserted between the words "the" and "banking company".

9. The existing proforma application appended to Schedule II shall be substituted by the proforma application as per annexure hereto.

I. T. VAZ
Executive Director

ANNEXURE

SCHEDULE II

Confidential

Proforma of proposal to be submitted by the issuing company (issuer) for issue of Company Paper

To be submitted to the consortium leader/financing banking company

To :

Dear Sir,

Commercial Paper—Programme of Issue

In terms of the Directions issued by the Reserve Bank vide Notification No. (ECD.1/87(CP)-89/90 dated 11th December 1989, as amended from time to time, we propose to issue Commercial Paper as per details furnished hereunder :

(i) Name of the Issuer :

(ii) Registered Office and address :

(iii) Whether Issuer is a FERA Company :

(iv) Business activity :

(v) Name/s of Stock Exchange/s with whom shares of the company are listed (not applicable to Government companies) :

(vi) Tangible net worth as per latest audited balance sheet (copy enclosed) :

(vii) (a) Amount of Commercial Paper proposed to be issued (Face value) :

(b) Tenor (period of issue) :

(viii) Rating obtained from the Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL) or any other agency approved by the Reserve Bank (A copy of the rating certificate should be enclosed :

For and on behalf of
(Name of the Issuing Company)
Authorise signatory

PUBLIC DEBT OFFICE

Bombay 400 001, the 30th July 1991

No. PDO/LN/SPL-2/I.F.C. Bonds—In pursuance of Regulation 10 of Industrial Finance Corporation (Issue of Bonds) Regulations, 1949 framed under Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948) the following list for the half-year ended 30th June 1991 of I.F.C.I Bonds lost etc. in respect of which prima facie grounds exist for believing that the Bonds have been lost and that the claim of the applicant is just, is hereby published. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these Bonds should communicate immediately with the Manager, Reserve Bank of India, Bombay-400 001.

The list is divided into two parts, Part 'A' being the list of securities advertised for the first time and Part 'B' the list of securities previously advertised.

Bond No.	Value in Rs.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for payment of discharge value	No. and date of orders issued	Date of publication of the list in which the security was first published
1	2	3	4	5	6	7
			LIST 'A'			
			—NIL—			
			LIST 'B'			
			5·1/2% I.F.C. Bonds 1978			
BY 000635 BY 000636	10,000 10,000	Reserve Bank of India	27-9-1976	The Oriental Insurance Company Limited	Case No. L-1684 Jt. Manager's Order dated 19th March, 1986 and C.O. Diary No. 383 dated 20th March 1986.	9-8-1986
			6 % I.F.C. Bonds, 1986			
BY 001808	5,000	Reserve Bank of India	10-6-1984	The Muslim Co-operative Bank Ltd., Poona	Case No. L-1880 Jt. Manager's Order dated 25th July 1986 and C.O. Diary No. 44 dated 26th July 1986	14-3-1987

P. R. ANANTHARAMAN
Manager.

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 30th July 1991

No. SBD. No. 8/1991.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section 1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India, nominated Dr. Surendra Mohan Virmani, ICRISAT Centre, Patancheru, Medak District (Andhra Pradesh), as Director on the Board of Directors of State Bank of Hyderabad for a period of three years with effect from 5th August 1991 to 4th August 1994 (both days inclusive) in place of Dr. K. S. Ramesh.

Sd/-
CHAIRMAN

CORPORATION BANK

HEAD OFFICE

Mangalore-575 001, the 13th March 1991

No. HRD/G/58821/011/91.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 (5 of 1980), the Board of Directors of Corporation Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulation further to amend the Corporation Bank (Officers), Service Regulations, 1982.

2. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the Corporation Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. Regulation 21 shall be substituted by the following :

"21 On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 2,500/- plus,

(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2,500/- to Rs. 4,000/- plus,

(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4,000/- to Rs. 4,260/- plus,

(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4,260/-."

(b) Regulation 22(2) shall be substituted by the following :—

"22(2) On and from 1-1-1990, where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

COLUMN I WHERE THE PLACE OF WORK IS IN	COLUMN II HRA PAYABLE SHALL BE
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 450/- p.m.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay subject to a maximum of Rs. 375/- p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) & (ii) above	10% of the pay subject to a maximum of Rs. 325/- p.m.
(iv) Area III	8% of the pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.

4. Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or at the rates indicated in Column II with a maximum of 175% of the maximum House Rent Allowance payale otherwise, whichever is lower.

Explanation

With effect from 1-4-1990.

1(b) Where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (a) above, whichever is lower.

(2) In this Regulation and in Regulation 23 Area I, Area II and Area III shall mean as under :—

Area I—Places with a population of more than 12 lakhs.

Area II—All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh and more.

Area III—All places not included in Area I and II."

(c) Regulation 24 shall be substituted by the following :

"24(i) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :

(a) *Medical Expenses* :

On and from 1-1-1990, reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts

claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :

TABLE

Pay Range	Reimbursement Limit P.A.
1	2
Rs. 2,100/- to Rs. 3,060/- p.m.	Rs. 750/-
Rs. 3,061/- p.m. and above	Rs. 1,000/-

Note : An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation :

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) *Hospitalisation Expenses* :

(i) On an from 1-4-1989, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The officers or member of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital i.e., hospitals under the Management of a Trust, Charitable institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in case of an officer and 60% in the case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleurosy, Diphtheria, Leprosy, Kidney Ailment."

(b) Guidelines of the Government under Regulation 24 reads as follows :

"Reimbursement of hospitalisation expenses under Regulation 24(1)(b)(i) shall be in terms of Hospitalisation Scheme laid down under the Bipaderite Settlement for workmen employees, subject to the following limits :—

Scale of Officer	Limits
(i) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	One and half times the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(ii) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII	Twice the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.

(e) Regulation 33(4) shall be substituted by the following :

"33(4) On an from 1-1-1990, Privilage Leave may be accumulated upto not more than 240 days except where leave has been applied for and it has been refused."

P. R. BHANDARY
Chief Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay-400005, the 19th July 1991

No. 3WCA(8)/3/91-92.—In pursuance of clause (iii) of Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Dates
1	2	3	5
1.	32240	Shri Dhananjay B. Shah, ACA., 3, Atur House, Dr. Annie Besant Road, Worli Naka, Bombay-400 018.	01-04-1991
2.	34390	Shri Piyush A. Vohra FCA., Curimjee Building. 1st Floor, 111-A Mahatma Gandhi Road, Opp. Bombay University, Bombay-400 023.	01-04-1991
3.	37132	Shri Hitendra A. Haria, ACA., 154/8, Jai Durga, Sion Main Road, Sion (East) Bombay-400 022.	18-05-1991
4.	39797	Shri Sachin A. Buche, ACA., 61, Shivaji Nagar, Nagpur-440 010.	08-05-1991
5.	43732	Miss Malavika S. Ketkar, ACA., 14, Garden View, 756, Parsi Colony, Dadar, Bombay-400 014.	01-04-1991
6.	44599	Shri Ravindra R. Bhat, ACA., KPMG Peat Marwick. Chartered Accountants, Chamber of Commerce Bldg., P.O. Box 3800, Deira, Dubai, U.A.E.	22-04-1991
7.	44975	Shri Pankaj J. Bagdi, ACA., Nal Saheb Chowk, Nagpur-18.	07-05-1991
8.	72535	Shri Sameer Kakkar, ACA. 814/815, Tulsiani Chambers, 212 Nariman Point, Bombay-400 021.	1-06-1991

M C NARASIMHAN,
Secy.

Calcutta-700071, the 26th July 1991

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/8/2/91-92.—In pursuance of Regulation 10(i)(iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following members have been cancelled as they do not desire to hold the same.

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Cancellation
1	2	3	4
1.	1651	Shri Amarendra Kishore Banik, FCA 121A, Saptaparni, 12th floor, 58/1, Ballygunge Circular Road, Calcutta-700 019.	30-6-91
2.	1847	Shri Milan Ranjan Majumdar, ACA 406/3, lock-G New Alipore, Calcutta-700 053.	23-4-91
3.	4975	Shri Pradyot Kumar Pal FCA C/o Mookherjee Biswas & Pathak, 5 & 6 Fancy Lane Calcutta-700 001.	9-5-91
4.	11719	Shri Bimal Kumar Agarwal FCA 54A, Zakaria Street, Calcutta-700 073.	1-4-91
5.	14178	Shri Samir Kr. Bhattacharyya FCA 23/27, Gariahat Road, P.O. Sarat Bose Road, Calcutta-700 029.	1-4-91
6.	15880	Shri Mrinal Kanti Ray FCA 49A, Baithak Khana Road, Calcutta-700 009.	7-5-91
7.	17500	Shri Satya Ranjan Sarker, FCA, Golf Green Urban Housing Complex Phase-II, MIG-2, Block-7, Flat No. 4, Calcutta-700 045.	13-5-91
8.	17949	Shri Rajendra Kumar Sethia FCA C/o. Orient Paper & Ind. Ltd., 9/1, R.N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001M	1-4-91
9.	50273	Shri Mukesh Kumar Nayar FCA HJ-17/2, Sachindra Lal Sarani, Gautampara, P.O. Aswininagar, Baguiati, Calcutta-700 059.	1-4-91
10.	52254	Shri Debendra Panda, FCA Kanaka Durga Phyiotherapy, Home Campus, Emporium Lane, Ranihat Cuttack-753 001.	17-5-91
11.	52307	Shri Santanu Mitra, ACA DL-88, Sector-II, Salt Lake City, Calcutta-700 091.	17-6-91
12.	52348	Shri Bhaskar Das Mahajan, FCA 162/A/32, Lake Gardens, Calcutta-700 045.	8-6-91
13.	52822	Shri Arvind Kumar Singh, ACA National Aluminium Co. Ltd., Captive Power Plant Div. Angul-759 145.	3-6-91
14.	52878	Shri Dipak Adhya, ACA 100E, Block-F, New Alipore, Calcutta-700 053.	15-5-91
15.	52838	Shri Malay Goswami, FCA 4/25, Fern Road, Calcutta-700 019	16-4-91
16.	52899	Shri Biswanath Roy, ACA Block-FD-93, Sector-III Salt Lake City, Calcutta-700 091.	2-5-91
17.	53401	Shri Arun Kr. Sharma, ACA 485, Rabindra Sarani, Calcutta-700 005.	28-6-91
18.	53706	Shri Deepak Chatrath, ACA P-82, C.I.T. Road Calcutta-700 014.	1-4-91
19.	53733	Shri Dipak Kr. Saha, ACA 50/1, Makardaha Road, Howrah-7181101.	28-6-91
20.	54785	Shri Abhijit Bandyopadhyay, ACA P-219, C.I.T. Scheme VIIM Calcutta-700 054.	1-4-91
21.	54986	Shri Malay Kr. Majumder, ACA H/6, Ashoke Avenue, Calcutta-700 040.	27-5-91
22.	55124	Shri Arun A. Lulla, ACA 26, Dr. Sundari Mohan Avenue 2nd floor, Flat No. 3 Calcutta-700 014.	25-4-91
23.	55267	Shri Prabir Mukhopadhyay, ACA 75/3, Sultan Alam Road, Calcutta-700 033.	1-4-91
24.	26828	Shri N.T. Murthy, ACA C/o. T.V. Krishnan, 25, Motilal Nehru Road, Calcutta-700 029.	29-5-91

M.C. NARASIMHAN,
Secy.

Madras-600034, the 25th July 1991

No. 3SCA(5)/4/91-92.—With reference to this Institute's Notification No. 3SCA(4)/8/90-91 dated 1st December 1990, 4CA(1)/17/71-72 dated 18th December 1971, 3SCA/12/89-90 dated 25th October 1989 and 3SCA(4)/17/89-90 dated 5th May 1990 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restore to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :

S. No.	M. No.	Members Name & Address	Rest. Date
1	2	3	4
1.	004876	Mr. Satyanarayanamurthy N., FCA 2-2-18/18/4/36 Bagh Amberpet Hyderabad-500 013.	06-05-91
2.	006617	Mr. Punnen Pulikode Jacob, ACA, C/o Technical & Trading Co. P.O. Box 49 Dubai U.A.E.	26-11-90
3.	008015	Mr. Santhanam G., FCA Member ITAT Office of the ITAT XXXV/389 Kalathiparambil Road Cochin-682 016.	07-06-91

1	2	3	4
4.	013214	Mr. Kurien P.K., FCA, Chempikulam Pattom Trivandrum-695 004.	06-06-91
5.	014877	Mr. Kumar T.V., ACA, JLN Panglima Polim IV/135 eKbayaron Baru Jakarta Indonesia	16-05-19
6.	015237	Mr. Kamath K.K., ACA, Chief Accountant Daharain Kuwait Insurance Co. BSC P.O. Box-10166 Diplomatic Area State of Bahrain	18-06-91
7.	016364	Mr. Sivakumar K.V., ACA, No. 16, 22nd East Cross Road, Gandhi Nagar, Vellore-632 006.	07-05-91
8.	019085	Mr. Babu A.V., ACA, Attokarens House Peringavu Trichur-680 018.	18-06-91
9.	019100	Mr. Jacob Mathew, ACA Financial Controller AL Mafraq Medical Centre P.O. Box 46266 ABU Dhabi—UAE.	31-05-91
10.	019240	Mr. Suresh Pai K. FCA C/o B.A. Mallya 7 V Street Rutlandgate Madras-600 006.	19-06-91
11.	020 '21	Mr. Shridhara Shetty M., ACA, P.O. Box 4048 Abudhabi U.A.E.	29-05-91
12.	020738	Mr. Venkata Ramanan B., ACA, 114 Jolly Maker Aparts No. 2 Cuffe Parade Bombay-400 005.	17-05-91
13.	020934	Mr. Anbazhagan R., FCA, 39, Natesan Street T. Nagar Madras-600 017	09-05-91
14.	021010	Mr. Paniraj S., ACA, Financial Controller Nyanza Bottling Company Ltd. P.O. Box 104 Mwanza Tanzania	03-05-91
15.	021705	Mr. Narasimha Prasad G., FCA, 20/399 Ist Floor Madras Road Cuddapah-516 001.	09-05-91
16.	022564	Mr. Jose T.M., ACA, Post Box 9109 Dubai U.A.E.	01-04-91
17.	022995	Mr. Radhakrishnan S., ACA, Accounts Executive Suhail & Saud Bhavan Building Materials LLC P.O. Box 169 Muscat	20-05-91
18.	025556	Mr. Padamanabhan N., ACA, P.O. Box No. 174 Dar ES Salaam Tanzania	13-05-91
19.	027105	Mr. Nanduri Prasad, ACA, P.O. Box 247 Francistown Botswana Africa.	10-06-91
20.	027550	Mr. Venkatachalam B., ACA, Assistant Manager (Accounts) Annai Sathya Transport Corporation Ltd. Dharmapuri.	18-06--91
21.	027644	Mr. Chandra Mouli E.S., ACA, Executive Internal Audit Larsen & Toubro Ltd., Powai Works Saki Vihar Road Bombay-400 072.	21-05-91
22.	028870	Mr. Srinivasan R., ACA, R-13/18 Raj Nagar Ghaziabad-201 001.	10-06-91
23.	088085	Mr. Krishnan S., ACA, Assistant Manager, Finance Apollo Hospitals Jubilee Hills Hyderabad-500 034.	18-06-91

No. 3SCA(8)/3/91-92.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from dates mentioned against their names as they do not desire to hold their Certificates of Practice.

S. No.	M. No.	Members Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	002541	Mr. Venkatakrishanan V., ACA, 16, Lloyds First Lane Royapettah Madras-600 014.	01-04-91
2.	004232	Mr. Padmanabhan K., FCA, N-4 24th Main J.P. Nagar I Phase Bangalore-560 078.	14-09-90
3.	004998	Mr. Parameswaran A.S., FCA, Asramom Near Central Stadium T.C. 26/538 Trivandrum-695 001.	01-04-91
4.	007213	Mr. Vasudeva Rao Savnur Narayanamu, ACA, C-4 Kudremukh Colony II Block, Koramangalam Bangalore-560 034.	01-10-90
5.	008679	Mr. Narasimhan S., FCA, 24, Besant Road Royapettah Madras-600 014.	01-04-91
6.	014434	Mr. Subramanian T.S., ACA, Accounts Manager H&P Division BEML Kolar Gold Fields-563 115.	01-04-91
7.	018126	Mr. Jagadeesan P.V. ACA, Comptroller of Totalizators Department of Racing Guindy Madras-600 032.	01-04-91
8.	019327	Mr. Appalacharyulu T. FCA Chartered Accountant 12-2-417/A/16 Jayanagar, LIC Colony Hyderabad-500 028.	01-04-91

1	2	3	4
9.	021780	Mr. Jain Shantilal D FCA II floor Ganeshkar Building Maratha Galli Hubli-580 020.	1-04-91
10.	022350	Mr. Ryaz Ahmed, ACA No. 11 Infantry Road Cross Bangalore-560 001.	18-02-91
11	022424	Mr. Viswanathan K.H., FCA 12/199 Darga Bazar Proddatur-516 360.	05-06-91
12.	024560	Mr. Uma Ramakrishnan, ACA 42 Madhava Road Mahalingapuram Madras-600 034.	01-04-91
13.	025098	Mr. Ramakrishnan N., ACA 179 Hudco Colony Tatabad 1 Coimbatore-641 012.	25-03-91
14	026278	Mr. Subramanian K.V., ACA No. 14, I Floor First Street Parameshwari Nagar Adyar Madras-600 020	21-05-91
15	026473	Mr. Rajendra Defna T., ACA 306 Purohit House 144 Mint Street Madras-600 079	01-06-91
16.	028767	Mr. Ramnarayan M.V., ACA New No. 4, 2nd Main Road Kasturba Nagar Pipeline West, Mysore Road Bangalore-560 026.	01-04-91
17.	029116	Mr Balasundaram S., ACA 901, 10th Cross 22nd Main, II Phase J.P. Nagar Bangalore-560 078.	01-04-91
18.	029297	Mr. Venkatesan S., ACA P.O. Box. 350 Doha, Qatar-O	01-04-91
19.	029301	Mr. Iyer Govind Sitaram, ACA 640, Stratford Green Avondale Georgia-30002, U.S.A.—0	23-08-90
20	029416	Mr. Ramanath S., ACA 1, II Tukkaram Street T. Nagar Madras-600 017.	10-06-91
21.	029425	Mr. Shekhar T.S., ACA 129, V. Cross I.T.I. Layout J.P. Nagar I Phase Bangalore-560 078.	01-04-91
22.	029473	Mr. Dhayanithi S. ACA 5/1 Anna Street Madipakkam Madras-600 091.	01-04-91
23.	029677	Mr. Prabhakaran A., ACA 13 N.G.O. 'B' Colony Sankarankovil-627 756.	25-06-91
24.	200196	Mr. Kalyanasundaram M., ACA No. 83 Mettu Street Kumbakonam-612 001.	01-04-91
25.	200593	Mr. Cyril John M., ACA Mannooparambil Kizhathadiyoor Palai-686 574.	21-05-91

No. 3SCA(8)/4/91-92.—In pursuance of Regulation 10(1)(iv) with Regulation 10(2)(b) of the Chartered Accountants Regulations 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

S. No.	MR No.	Member, Name & Address	Canc. Date
1.	026762	Mr. Sajeev B. Menon, ACA Archana (Korathat) North Fort Gate Tripunithura-682 301 Ernakulam	01-10-88
2.	011217	Mr. Kumaranathan J., ACA No. 2 Norton First Street Mandavelipakkam Madras-600 028.	01-08-83
3.	034927	Mr. Vivek Ram Nayak, ACA C/o KPMG Fakhro Public Accounts & Consultants 5th Floor Chamber of Comm. Bldgs. P.O Box 710, Manama Bahrain-0	01-10-90

M. C. NARASIMHAN
Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 26th July 1991

No. A-38/80-INS.IV.—It is notified for general information that the Employees' State Insurance Corporation at its meeting held on 6th March 1991 passed the following Resolution :—

"In supersession of the Resolution passed by the Corporation at its meeting held on 25-8-1983, it is resolved that the Director General, the Medical Commissioner, the Insurance Commissioner, the Director (Administration), the Director (Medical) Delhi, All Jt. Insurance Commissioners, Dy. Insurance Commissioners, Administrative Officers, Regional Directors, Jt. Regional Directors, Dy. Regional Directors, Assistant Regional Directors, Dy. Medical Commissioners, Director Incharge of Sub-Regional Offices, Jt. Regional Director Incharge of Sub Regional Offices, Managers, Insurance Inspectors and the Superintendents are authorised to :—

(i) Institute in the name of the Corporation, suits and other legal proceedings necessary in the interest of the Corporation and to defend any such proceedings instituted against the Corporation in all courts or tribunals including those established under the Employees' State Insurance Act, 1948; and

(ii) to represent the Corporation in all courts or tribunals in cases to which corporation is a party and to act, appear, make applications, plead and withdraw moneys on behalf of the Corporation.

CORRIGENDUM

The 29th July 1991

No. A-12(11)-7/88-Estt.I(A).—In the Notification No. A-12(11)-7/88-Estt.I(A), dated 16-1-1991 published in Gazette of India No. 7, Part-III, Section-4, dated 16-2-1991 (Magha 27, 1912) the following shall be substituted :—

1. The word 'Lay' appearing in 8th line under Head 'Disqualification' at Page-333 shall be read as 'Law'.

2. In the Schedule at Page-334 :—

(a) In Column 2, the figure '11' shall be substituted by figure '1'.

(b) In the Heading for Column-12, the word 'deputation' appearing in the 7th line shall be read as 'deputation'.

KUSUM PRASAD
Director General

New Delhi, the 29th July 1991

No. U-16/53/89-Med.II(UP).—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby grant extension w.e.f. 4-5-1991 to Lt. Col. (Dr.) B. L. Katyal, 117/311, H-1 Block, Model Town, Pandunagar, Kanpur, as Part-time Medical Referee, in Kanpur Centre, in the area to be Specified by the Dy. Medical Commissioner (North Zone) at a monthly remuneration as per eixsting norms, and authorise him to function as medical authority for one year or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them, when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. K. M. SAXENA
Medical Commissioner

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 28th June 1991

No. CPFC.1(4)/PB(250)/91/919.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 52), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No	Code No	Name & Address of establishment	Date of coverage
1	2	3	4
1.	PN/10950	M/s. Neeku Textile Mills P. Ltd., I/S Oswal Woolen Mills, G.T. Road, Sherpur Ludhiana including its Regd. Office at Bombay.	1-1-87
2.	PN/12520	M/s. Victor Industrial Security, S.C.O., 345-346, Sector-35/B, Chandigarh.	1-9-89

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

The 29th July 1991

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/1244.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Ac, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that he employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than tthe benefis admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Kerala from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

REGION : Kerala

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption.	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. The Indian Coffee Board Workers' Co-op. Society Ltd., No. 4227, H.O.M.G. Road, P.B. No. 184, Trichur-680 001	KR/1971	1-10-87 to 30-9-90	2/3720/90-DLI
2.	M/s. G.T.N. Textiles, P.B. No. 101, Alwaye-683101.	KR/2230	1-7-88 to 30-6-91	2/3719/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer

of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the bnefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Rgional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./1250.—WHEREAS M/s. A. P. Shrinp Seed Production Supply and Research Centre, D. No. 48-7-9 (Middle Floor); Rama Talkies Road, Sreenagar, Visakhapatnam-530 016 (AP/17584) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relexation order under Para 28(7) of the Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Visakhapatnam from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-9-90 to 31-8-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Rgional Provident Fund Commissioner shall before givng his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their poin of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Schem are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of

assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/1256.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits, under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits adminissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I. B. N. Som, hereby exmpt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period upto 3 years as indicated in attached schedule-I agianst their names.

SCHEDULE—II

REGION : Rajasthan

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for exemption further extended.	C.P.F. C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Ashok Foundry & Metal Works Ltd., 101-103, Industrial Area, Jhotwara, Jaipur.	RJ/1642	2/1959/DLI/Exemp/-1191 dated 21-12-89	23-11-90	24-11-90 to 23-11-93	2/1096/ 84/DLI
2.	M/s. Bhilwara Synthetics Ltd., P.B. No. 17, Bhilwara Rajasthan.	RJ/1681	S-35014/27/84/PF-II/SS. II dated 29-2-88	16-3-90	17-3-90 to 16-3-93	2/542/90/ DLI
3.	M/s. Adarsh Enterprise 12-A, Heavy Industrial Area, Jodhpur.	RJ/1884	S-35014/54/87/SS.II dated 25-5-87	24-5-90	25-5-90 to 24-5-93	2/1522/88/ DLI
4.	M/s. Jain Cables (P) Ltd., Jhuntha, Distt. Pali, Rajasthan.	RJ/2920	2/1959/DLI/Exam/ 89/ Pt. 1/86 dated 17-10-89	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/2285/ 91/DLI
5.	M/s. Bohra Cement (P) Ltd., Jhuntha, Pali, Rajasthan.	RJ/3009	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I/861 dated 17-10-89	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/2288/89/ DLI
6.	M/s. Bundi-Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank, Head Office, Khoja Gate Road, Bundi.	RJ/4427	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I. dated 17-10-89	30-6-91	1-7-91 to 30-6-94	2/2294/89/ DLI
7.	M/s. Swastika Textiles, F-56, Riico Industrial Area, Bhilwara.	RJ/4487	2/1959/DLI/Exem/89/-Pt. I/292 dated 9-1-90	31-1-91	1-2-91 to 31-1-94	2/2227/89/ DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer

of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary prmium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the bnefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nomince(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Rgional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for anv reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/1262.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subjejct to the condition specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Andhra Pradesh from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

S.. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effcctiive date of exemption.	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Kalpana Chemicals (P) Ltd., Road No. 5, Nacharam IDA, Hyderabad-501507, (A.P.)	AP/6244	1-11-89 to 31-10-92	2/3714/91 DLI.
2.	M/s. Sudhakar P.V.C. Products, Industrial Estate, (B-8 Plot) Suryapet-508214 (AP) Distt. Nalgonda.	AP/6617	1-8-90 to 31-7-93	2/3717/91 DLI
3.	M/s. Suryatronics Pvt. Ltd., 12-5-28/2912, Tarnaka, Hyderabad-500017 (A.P.)	AP/18041	1-12-90 to 30-11-93	2/3716/91 DLI
4.	M/s. Sree Rayalaseema Alkalies & Allied Chemicals Ltd., Gondiparla, Kurnool- 51804 (A.P.)	AP/20817	1-12-90 to 30-11-93	2/3715/91 DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities or inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insur-

ance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/39/Pt.I/1268.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (herein-after referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subjejct to the condition specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Rajasthan from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

REGION: Rajasthan

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption.	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Auto Spores Mfg. Co., 8-B, Heavy Industrial Area, Jodhpur.	RJ/2140	1-1-90 to 31-12-92	2/3693/91-DLI
2.	M/s. Jey Key Woollen Industries, Bikaner . . .	RJ/3045	1-6-89 to 31-5-92	2/3694/91-DLI
3.	M/s. Rajasthan Communications Ltd., 3, Kanakpura Industrial Area, Kanakpura, Jaipur-302012	RJ/3993	1-1-89 to 31-12-91	2/3695/91-DLI
4.	M/s. Avon Udhyog, ... G-121, Marudhas Industrial Area, Vasant II, Faiz Jodhpur.	RJ/4078	1-10-88 to 30-9-91	2/3696/91-DLI
5.	M/s. Sona Engineer Co. Ltd., ... 87, Chetak Marg, Udaipur-313001	RJ/4329	1-3-89 to 29-2-92	2/3697/91-DLI
6.	M/s. Jey Key Woollen Industries, ... (Unit-2) Bikaner	RJ/4492	1-6-89 to 31-5-92	2/3698/91-DLI
7.	M/s. Kanungo Alloys (P) Ltd., ... C-234-235, MIA IInd Phase Basani, Jodhpur(Rajasthan)	RJ/4916	1-11-88 to 30-10-91	2/3699/91-DLI
8.	M/s. Saboo Engineers . . . . . E-24, Merudhas Industrial Area, 2nd, Bashi, Jodhpur-342003	RJ/4954	1-9-88 to 31-8-91	2/3700/91-DLI
9.	M/s. Mahesh Textiles Mills, ... E-225, Merudhas Industrial Mrea, II Phase, Basani, Jodhpur.	RJ/4989	1-4-89 to 31-3-92	2/3701/91-DLI
10.	M/s. Sarla Marbles (P) Ltd., Ambari, Udaipur.. . .	RJ/5223	1-1-90 to 31-12-92	2/3702/91-DLI
11.	M/s. Janta Sweet Home (P) Ltd., Jodhpur. . . .	RJ/5310	1-2-90 to 31-1-93	2/3703/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (herein after to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities or inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/1274.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (herein-after referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry/ of labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintained such accounts and provide such facilities or inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest

of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. F P-1(147)/91/1280.—WHEREAS, M/s BHEL, Ranipet Code No. TN/17199 has forwarded 19 applications in respect of its employees whose name is are, reflected in Schedule-I annexed for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under section 17 (1-C) of Employees Provident Funds & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner am satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Government of India Pension Rules (C.C.S. Pension Rules) applicable to these individual employees of the said establishment are more favourable than the benefits provided under the Employees Family Pension Scheme, 1971.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1-C) of Section 17 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt, the individual employees of the said establishment as given in the Schedule-I to this notification who were under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and were governed by the C.C.S. Pension Rules, from the operation of all provisions of the Employees Family Pension Scheme, 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of those who retired after exercising option from 22-1-90 to 21-7-90 in terms of Government orders dated 22-1-90 on the following terms and condtions :—

1. these employees will not be entitled to or claim any benefit(s) under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 from the date of exemption.

2. Option once exercised for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 will be irrevocable.

3. The employer in relation to each of the said employees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

SCHEDULE—I

Name of the establishment : B.H.E.L. Ranipet

Code No. TRN/17199

Sl No.	Name/Designation	Code No.
1	2	3
1.	S. Chindmbaranathan Sr. Rccountant-I	TN/17199
2.	R.K. Rao Sr. Manager(EDP)	TN/17199
3.	V.S. Venkataraman Sr. Accountant-I	TN/17199
4.	S. Sivaraman Sr. Accountant-I	TN/17199
5.	K. Swaminathan Sr. Accountant-I	TN/17199
6.	V. Navaneethakrishnan Chief Supervisor	TN/17199
7.	R. Jambunathan Chief Supervisor	TN/17199
8.	M.C. Vijayaraghavan Sr. Accountant-II	TN/17199
9.	S. Hariharanarayanayrch IEF Supervisor	TN/17199

1	2	3
10.	S. Lakshminarayanan Sr. Accountant-II	TN/17199
11.	R. Ranganathan Sr. Accountant-II	TN/17199
12.	B.G. Ramanna Sr. Accountant-I	TN/17199
13.	M. Ramakrishnan Sr. Accounts Officer	TN/17199
14.	D. Rajarathnam Accounts Officer	TN/17199
15.	T.V. Rajappan Sr. Accountant-I	TN/17199
16.	S. Ranganathan Dy. Manager(FIN)	TN/17199
17.	S. Srinivasa Gopalan Dy. Manager	TN/17199
18.	E. Govindasamy Dy. Manager (Traffic)	TN/17199
19.	N. Reghunathan Sr. Accountant-I	TN/17199

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/1284.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereafter referred to as the said establishmen) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the *Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions* Act, 1952 (19 of 1952) (hereinatfer referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Prov'dent Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of Indit in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Not fication No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

REGION : DELHI

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s. Ranbaxy Laboratories Ltd., Okhla, New Delhi-110 020	DL/682	S-35014/216/82/PF. II/SS. IV/dated 11-3-86	17-9-88	18-9-88 to 17-9-91	2/722/82/DLI
2.	M/s. Ranbaxy Laboratories Ltd., Okhla, New Delhi-110 020.	DL/1546	2/1959/DLI/Exam/89/ Pt. I/dated 10-10-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/722/82/DLI
3.	M/s. S.N.S. Pharma Pvt. Ltd., 11, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110 065	DL/8859	2/1959/89/Exam/Pt. I/ dated 8-8-89	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/2112/89/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of he said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient ftatures thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt Payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt.1/1290.—WHEREAS, M/s. Meenatchi & Co., P.B. No. 30, 38 North Car St., Dindigul 624 001 (TN/3376) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM. Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Madurai from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-11-88 to 31-10-91.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient fettures thereof in the language of the majority of the employees'.

5. Whereas an employee, who is already a member of the employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if—on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the eexemption shall liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assored to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./1296.—WHEREAS, M/s. B.H.E.L. Industrial Co-operative Service Society Ltd., B.H.E.L. Indcoserve, B.H.E.L. Trichy-620 014 (TN/23166) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Trichy from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-89 to 28-2-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/1302.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as said Scheme)

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of thesaid Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Gujarat from the operation of the said scheme for a period of 3 years

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the such assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./1324.—WHEREAS.—M/s. The Kumbakonam Milk Producers Co-op. Society Ltd. Kumbakonam-612001. (TN/6939), have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Trichy from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-89 to 28-2-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shsall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the aministration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estblishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if——————on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/1330.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Hyderabad from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assored to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./1296.—WHEREAS, M/s. B.H.E.L. Industrial Co-operative Service Society Ltd., B.H.E.L. Indcoserve, B.H.E.L. Trichy-620 014 (TN/23166) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Trichy from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-89 to 28-2-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/1302.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as said Scheme) :

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of thesaid Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Gujarat from the operation of the said scheme for a period of 3 years

SCHEDULE—I

REGION : GUJARAT

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption.	C.P.F.C's File No.
1.	M/s Premier Industries . . . . . Opp. Gun House, Khanpur-Ahmedabad. 380001	GJ/6527-A	1-2-87 to 31-1-90 and 1-2-90 to 31-1-93	2/3723/91-DLI
2.	M/s. Domesha Chemicals (P) Ltd., . . . 82, GDDL, Industrial Area, Post Gudlane-396035 Bulsar, Gujarat	GJ/6860	1-11-87 to 31-10-90 and 1-11-90 to 1-10-93	2/3443/91-DLI
3.	Ms/.Induotolthern (India) Ltd., ... 47, G.I.D.C., Phase-I Near Kiran Industries, Vatva, Ahmedabad	GJ/7788	1-3-89 to 28-2-92	2/3724/91-DLI
4.	M/s. Torrent Exports Ltd., ... Torrent House, near Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedabad. 380001.	GJ/10036 'B'	1-8-90 to 31-7-93	2/3725/91-DLI
5.	M/s. Torrent Distributors , ... Ahmedabad-Mehsana Highway, Indrad-Taluka(N.G.) India	GJ/10359	1-8-90 to 31-7-93	2/3726/91-DLI
6.	M/s. Torrent Pharmaceuticals (P) Ltd., 87/3, G.I.D.C., Estate Vatva, Ahmedabad-382445	GJ/10359 'A'	1-8-90 to 31-7-93	2/3735/91-DLI
7.	M/s. Trend Distributors . . . . . Torrent House, near Dinesh Hall, Ashram Road-380009	GJ/14289	1-8-90 to 31-7-93	2/3736/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establish ment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the aministration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia. transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estblishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if———————on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs(s) of the of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

The 31st July 1991

No. CPFC.1(4)/BR(262)/91/1308.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer's and the majority of employee's in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the Estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	BR/5779	M/s. Mainuddin Khan, 35-A Block, Dhatidih, Jamshedpur-831001.	21-4-88
2.	BR/2751	M/s. Gasolene Service P. Ltd, S.P. Verma Road, Patna-1.	1-12-74

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sec. 4 of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

No. CPFC.1(4)/KR/(249)/91/1372.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the Provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No	Name & Address of the estt.	Date of coverage.
1	2	3	4
1.	KR/11770	M/s. Ambika Dairy, P.O. Taliparamba, Taliparamba Municipality Taliparamba Kannur Dist.	31-10-90
2.	KR/11768	M/s. Kayamco Granite Crushing Industries Chokli Mekkunnu P.O., Thalassery TQ, Kannur Dist.	31-10-90
3.	KR/11769	M/s. Uday Transport (KRN 394) Saviraj, Thavakkara Kannur TQ, & Dist.	31-10-90
4.	KR/11777	M/s. Purathur Service Co-op Bank, P.O. Purathur, Tirur, Mallapuram Dist.	1-12-90
5.	KR/11776	M/s. Calicut Drug Lines, P.B. 536, 16/915-A, Kallai Road, Calicut-673002.	1-10-90

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishcents.

The 1st August 1991

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt/1318.—WHEREAS M/s Indian Oil Corp. Ltd. Scope Complex, Core-2-7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-3, DL/1338, have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification no. S-35014/49/84/FPG/—— Dated 24-5-84 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 23-5-87 to 22-5-90 upto and inclusive of the 22-5-90.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shsall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the aministration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estblishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediatelv admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if———on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the such assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./1324.—WHEREAS.—M/s. The Kumbakonam Milk Producers Co-op. Society Ltd. Kumbakonam-612001. (TN/6939), have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Trichy from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-89 to 28-2-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shsall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the aministration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estblishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if———on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/1330.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Hyderabad from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective Date of exemption.	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. D.C.L. Finance Ltd., Decean Chambers, Somajignda, Hyderabad-500 482	AP/14124	1-7-88 to 30-6-91	2/3727/91/DLI
2.	M/s. Speck Systems Pvt. Ltd., Kushaiguda, B-49, Electronic Complex, Hyderabad-500762.	AP/17116	1-3-91 to 28-2-94	2/3728/91/DLI
3.	M/s. A.P. Beverages Corpn. Ltd., 6th Floor, Samrat Complex, 5-9-12/1, Saifabad, Hyderabad-500 004	AP/19691	1-4-90 to 31-3-93	2/3729/91/DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of decreased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI|Exempt/89|Pt.1|1336.—WHEREAS, the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Andhra Pradesh from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Andhra Pradesh Steels Ltd., ... PALONCHA. Distt. Khammam with its branches Andhra Pradesh.	AP/5094	1-3-90 to 28-2-93	2/3732/91/DLI
2.	M/s. The Book Point (India) Ltd., ... 3-5-820, Hyderguda, Hyderabad-500029(A.P.)	AP/16274	1-3-88 to 28-2-91	2/3733/91/DLI
3.	M/s. Regency Ceremics Ltd., ... N. N. House. Chiragale. Lane. Hyderabad-500001(A.P.)	AP/18791	1-12-89 to 30-11-92	2/3734/91/DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./1342.—WHEREAS M/s. The Coimbatore Pioneer Mills Ltd. Texturising Unit, Alampalayam, Coimbatore-638559 TN/55-A, have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Coimbatore from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-11-90 to 31-10-93.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner

concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if——————on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

The 2nd August 1991

No. FP/I(32)/84/18098/23537.—Whereas M/s. Coimbatore Municipal Corporation Electrical Undertaking, Coimbatore P.B. No. 554 (TN/339) had applied for exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under sub-section 1(c) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner am satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Tamil Nadu Municipal Service Pension Rules as applicable to the employees of the said establishment from 16-7-1983 are not less favourable than the benefits provided under the said Act, and the Employees' Family Pension Scheme, 1971.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-Section (IC) of Section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified here under, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt the said establishment from the operation of all provisions of the Employees' Family Pension Scheme, 1971 with retrospective effect from 19-1-1991 to 18-1-1994.

CONDITIONS :

1. Notwithstanding anything contained in the Pension Rules/Family Pension Scheme of the Establishment if the amount of pension payable in respect of any member upon his death is less than the amount of family pension payable if he was a member of the Employees' Family Pension Scheme, 1971 the Employer shall sanction the family pension which is admissible under the Employees' Family Pension Scheme, 1971.

2. The employer shall maintain such accounts, submit such returns and provide for such facility for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may from time to time direct.

3. All expenses involved in the administration of Family Pension Scheme of the said establishment including maintenance of accounts, submission of accounts and returns, transfer of accounts, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment a copy of the rules incorporation therein all amendments, if any of the Pension Rules/Family Pension Scheme of the said establishment as approved by the Central Government/C.P.F.C. alongwith a translation of the salient features thereof in language understood by the majority of the employees.

5. No amendment of the rules of the Pension Rules/Family Pension Scheme of the establishments adversely affecting the interests of the empolyees shall be made without the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner. The Central Provident Fund Commissioner will, before giving therein approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991